अध्याय - दस्त
जनसंख्या शिक्षा

जन से जन परस्पर मिलकर निर्मित जन संमुदाय का आकार जब निरंतर बढ़ता ही गया तो उसे जनसंख्या के नाम से गिनने की आवश्यकता हुई। सामुदायिक जीवन के प्रारंभ से ही मानव इस बात का अनुभव करता आ रहा है कि समाज में जनसंख्या की वृद्धि और कमी से तत्कालीन समाज की संरचना, स्वरूप, आकार और प्रकार में परिवर्तन हो जाता है। समूह की सदस्य संख्या अधिक हो जाने पर जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं—मोजन, व्यक्ति, आवास तथा यौन संरचना की मौंग बढ़ जाती है और जब उस मौंग की पूर्ति उबाल मात्र में, समय पर नहीं हो पाती तो हर सदस्य का जीवन अभावग्रस्त और संघर्षक बन जाता है। परिणामस्वरूप सामाजिक बीमे में अनेक परिवर्तन होते चले जाते हैं। अतः जनसंख्या वृद्धि से जनसंख्या की लघुतम इकाई—व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, देश एवं समूह विश्व की प्रत्येक क्रिया प्रतिक्रिया प्रभावित होते हैं जिसकी उपेक्षा स्वयं जनसंख्या के लिए घातक तथा विनाशक रूप धारण कर विकास विस्फोटक स्थिति का निर्माण कर लेती है। वह स्थिति होगी—जब जन ही जन का जनक नहीं बल्कि स्वयं भक्ति बन जायेगा। प्रकृति के संतुलन नियम के अनुसार कई जीव—जन्तु स्वयं की तीव्र गति से बढ़ती हुई संख्या को नियन्त्रित करने के लिए—ताकि स्वयं के जीवन की रक्षा हो सके—स्वयं के अंश से उत्पादित संतति का भक्षण कर लेते हैं और अपनी सुख सुविधा के अनुसार अपनी संख्या के संतुलन को बनाए रखते हैं। परन्तु यह ‘संतुलन नियम’ मानव जाति और उसकी संतति पर लागू नहीं हो सकता। कारण मानव कभी भी अपनी संतति का भक्षण नहीं कर सकता। अतः आवश्यकता है कि मानव अपनी संख्या के संतुलन को बनाए रखने के लिए अपने स्वयं के प्रजनन को नियन्त्रित कर ले इसके लिए ‘जनसंख्या शिक्षण’ का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए।
एक अनुमान के अनुसार 2010 तक सबसे अधिक जनसंख्या वाले 50 शहरों में से जो 40 शहर विकासशील देशों में होंगे उन महानगरों में से अधिकतम नगर भारत में होंगे, जिनमें कुछ की आबादी दो से तीन करोड़ तक होने की सम्भावना है।

'एशियाई—पेरिफिक देशों की' एससी एफ कॉन्फ्रेंस, कोलम्बो 1982 के विचारों तथा सेट्रे एस0 एक किंव्रिया—ने इस बढ़ती हुई विकास जनसंख्या समस्या को सीमित तथा तुरंत प्रभावित कर अंकुश में लाने वाले कुछ कठोरतम एवं अभियांत्रिक उपायों को क्रियान्वित करने का सुझाव दिया जिस पर हमें अविश्वास उपर से न केवल ध्यान देना चाहिए बल्कि तुरंत ही जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये कदम उठाने चाहिए। कारण—हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विश्व की मात्रा 1/2 प्रतिशत भूमि पर बसे भारत में सन् 2001 तक विश्व की कुल जनसंख्या का 16.87 प्रतिशत भाग सांस लेता है। अतः जनसंख्या शिक्षण का अध्ययन नई पीढ़ी के लोगों के लिये आवश्यक होना चाहिए।

जनसंख्या शिक्षण विषय का एक महत्त्वपूर्ण गहन, गम्भीर, दीर्घकालीन भूमिका अदा कर सकेगा।

जनसंख्या शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा --:

जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो विश्व, देश तथा राज्य की जनसंख्या के सभी पक्षों का ज्ञान े। जनसंख्या और उसकी समस्याओं के प्रति ऐसी धारणाओं का तथा व्यवहार का विकास करने में सहायक हो जो व्यक्ति और राष्ट्र के लिए हितकारी हो। परस्तु इसका अर्थ सेक्स शिक्षा से एकदम भिन्न है। इस सम्बन्ध में जनसंख्या शिक्षा के प्रथम परिचायक कोलम्बिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स प्रोफेसर स्लून. आर. वेल्क ने रेप्टर रुप से कहा था कि "There should be no confusion in understanding the meaning of population education as it is quite different from sex education or education for family living."1

जनसंख्या शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विद्यार्थी जनसंख्या प्रक्रिया की प्रवृत्ति एवं अर्थ, जनसंख्या की विशेषतायें, जनसंख्या परिवर्तन के कारण एवं परिणाम
तथा इन परिवर्तनों का अपने परिवार, अपने समाज तथा विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है।

अतः जनसंख्या शिक्षा वह शिक्षा है जो जनसंख्या से अथवा मानव सशक्ति या संसाधन से समबन्धित है। इस शिक्षा में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या की वृद्धि या ह्यास, जनसंख्या संरचना, जनसंख्या में लैंगिक अनुपात, विवाह की आयु आदि विषयों का ज्ञान कराया जाता है। यह वह शिक्षा है जिससे न केवल ओंकरो का ही पता चलता है बल्कि जनसंख्या वृद्धि या ह्यास के कारणों तथा उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। इसी अनुक्रम में यदि जनसंख्या वृद्धि की गति तीव्र है और उसके फलस्वरूप मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कुक्रिभाव पड़ रहा है तो हम यह भी जानकारी कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की गति को कैसे कम किया जाये।

संक्षेप में, जनसंख्या शिक्षा अत्याधिक जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के विषय में गहन ज्ञान, समझ एवं जागरूकता प्रदान करता है, जिससे प्राप्त करने व्यक्ति स्वयं अपने-अपने परिवार, समाज, समुदाय, देश और विश्व के जीवन-स्तर को उच्च एवं समृद्ध बना सकता है।

"राज्य शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश" ने जनसंख्या शिक्षा की परंपरा को इस प्रकार समझाया है, जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षिक प्रयास है जिसके द्वारा विभिन्न वर्गों, विशेषकर छात्र-छात्राओं, की विश्व के परिप्रेक्ष्य में देश प्रदेश व क्षेत्र की जनसंख्या स्थिति, जनांकिकी की प्रमुख तथ्यों, जनसंख्या और पर्यावरण के पारस्परिक सम्बन्ध, जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव आदि का बोध कराया जा सकेगा। साथ ही जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं और जनसाधारण के जीवन-स्तर पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में भी जागरूक कराया जा सकेगा। अतः जनसंख्या शिक्षा न तो परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम है, न यौन शिक्षा और न कोई प्रचार या विशिष्ट दीक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम है।
1970 बैंकाक में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक गोष्टि “जनसंख्या तथा पारिवारिक जीवन शिक्षण” में व्याख्या इस प्रकार की गई कि “जनसंख्या शिक्षा एक ऐसा शैक्षणिक कार्य है जो शिक्षार्थियों को परिवार समाज राष्ट्र एवं समग्र विश्व की आबादी की परिस्थिति के विषय में स्पष्ट विचार प्रस्तुत करता है तथा इस संदर्भ में स्वयं के और देश के प्रति अपने कर्त्तव्य व्यवहार और उत्तरदायित्व की समझ व अनुभूति विकसित करता है।” 3

“अगस्त 1969 में बम्बई में राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ, जिससे जनसंख्या शिक्षण के विषय में इस प्रकार स्पष्टता की गई कि जनसंख्या शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह होना चाहिए कि जिससे विद्वानों भी प्रकार समझ जाए कि परिवार के आकार के लिए नियन्त्रण में रखा जा सकता है। जनसंख्या नियन्त्रण से देश के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने और समृद्धि बनाने में सहयोग मिलता है। जनसंख्या शिक्षण से यह जागरूकता भी उत्पन्न की जा सकती है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य, स्वास्थ्य आर्थिक स्थिति युवा पीढ़ी के आशामय भविष्य के लिए आज भारतीय परिवार को दो या तीन बच्चों के जन्म से ही समझौता करना चाहिए।” 4

व्यक्ति, देश, समाज का कल्याण इसी में मिलता है कि कुटुंब का स्वरूप छोटा है। उपरोक्त सभी व्याख्याओं के गहन, गम्भीर अध्ययन के पश्चात् निम्न बातें स्पष्ट होती हैं –

1. जनसंख्या शिक्षा एक शैक्षणिक प्रक्रिया है।

2. जनसंख्या शिक्षा विद्वानों को जनसंख्या व उसकी गतिविधियों के विषय में जागरूक बनाती है।

3. जनसंख्या शिक्षा जनवृद्धि के कारणों एवं उससे उत्पन्न होने वाले भयंकर परिणामों के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

4. विद्वानों को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद परिवार के संदर्भ में विवेकपूर्ण समझदारी पूर्वक निर्णय लेने में उचित मार्ग दर्शाने करता है।
5. जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन-स्तर पर पड़ने वाले कुप्रभाव को दर्शाता है।

6. जनसंख्या शिक्षा द्वारा विद्यार्थियों में यह आत्मसात कराना है कि वर्तमान काल में कम संतति देश भक्ति ही नहीं वरन आपे वाली पीढ़ी के प्रति नैतिक कर्त्तव्य भी है।

जनसंख्या शिक्षा के द्वारा हम समझ सकते हैं कि जनवृद्धि से हमारे देश के लिए क्या-क्या नवीन समस्याओं उत्पन्न होगी तथा व्यक्तिगत जीवन स्तर पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आज की युवा पीढ़ी तथा कल की आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए पहले से ही तैयार करना है कि वे अपने परिवार व संतान के विषय में उचित दंग से विचार कर सकें, विवेकपूर्ण निर्णय ले सकें।

जनसंख्या शिक्षा का क्षेत्र एवं विषय सामग्री -

हौसर (Houser) ने 'Population Gap in the curriculam' में जनसंख्या शिक्षा के अध्ययन क्षेत्र के निम्नलिखित विषयों को व्यक्त किया—

1. जनसंख्या वृद्धि : इतिहास-भूतकाल से लेकर वर्तमान समय तक।

2. जनसंख्या वृद्धि : प्रवृत्ति-भविष्य के लिए दृष्टिकोण, जनमद, मृत्यु-दर जनसंख्या का संक्रमण सिद्धांत।

3. जैविक और जातीय ज्ञान।

4. जनसंख्या संरेखण : प्रवृत्ति-भविष्य के लिए दृष्टिकोण, आयु, लिंग, सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक विशिष्टताएं।

5. जनसंख्या का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथ्यों के संदर्भ में ज्ञान।

6. जनसंख्या का वितरण।

7. जनसंख्या अनुसंधान की पद्धतियाँ।

'नेशनल कॉशिल ऑफ एजूकेशनल रिसर्च' ने 1970 में एक ‘वर्कशॉप’ का आयोजन किया, उसमें जनसंख्या शिक्षा के विषयों की स्पष्टता निम्न प्रकार की गई हैँ—:
1. जनसंख्या वृद्धि।
2. स्वास्थ्य पोषण और जनसंख्या।
3. जैविक तथ्य, पारिवारिक जीवन और जनसंख्या।
4. जनसंख्या और आर्थिक विकास, सामाजिक विकास।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुये यही स्पष्ट होता है कि जनसंख्या शिक्षा का मुख्य विषय जीवन स्तर को उन्नति की ओर ले जाना है। आज जनसंख्या शिक्षा की विषय-सामग्री में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया जाता है —

1. विश्व में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास का सामान्य ज्ञान तथा भारत की जनसंख्या वृद्धि के इतिहास का विशेष अध्ययन, जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्रवृत्ति तथा इससे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन।
2. जनसंख्या में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि का आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक पहलुओं का देश के आर्थिक विकास पर पड़ने वाला प्रभाव।
3. जनसंख्या में तेजी से होने वाली वृद्धि के परिणामस्वरूप परिवार के बड़े आकार का व्यक्ति, उसके पारिवारिक जीवन तथा रहन-सहन के स्तर पर प्रभाव।
4. जनसंख्या में होने वाली तीव्र वृद्धि का पर्यावरण, खाद्यान्न, प्राकृतिक संसाधनों तथा जीवन-स्तर पर प्रभाव।
5. प्रजनन क्रिया से सम्बन्धित प्राथमिक जानकारी।
6. जन्मदर, मृत्युदर, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी।
7. जनसंख्या नीति-अर्थ, उद्देश्य तथा क्रियान्वयन से सम्बन्धित जानकारी।

वास्तव में समस्त विश्व में विशेषकर विकासशील देशों की विशिष्ट परिस्थितियों के संदर्भ में इस विषय के अन्तर्गत जन जीवन को समृद्ध बनाने के लिए जनसंख्या शिक्षा को अत्याधिक महत्त्व दिया गया है, अतः इसी से सम्बन्धित अनेक पहलुओं का अध्ययन इसकी विषय सामग्री बन जाता है, जैसे — जनसंख्या का इतिहास, स्थिति, जनसंख्या विस्फोट , जनसंख्या वृद्धि का सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक सम्पत्ति
व राजनैतिक, सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव जनसंख्या वृद्धि का प्राकृतिक सम्पत्ति व पर्यावरण पर कुम्भाव त्रज्ञन क्रिया को नियन्त्रण में लाने के लिए जातीय ज्ञान, जनसंख्या नीति आदि। जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न अनेक समस्याओं जैसे--आवास, जल, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, बेलोजराइ, भूषाधार व असामाजिक तत्त्वों की समस्या आदि का अध्ययन क्रिया जाता है।

व्यक्ति का आचरण सामाजिक, जैविक वातावरणीय परिस्थितियों में उद्देश्य एक संकलन है अर्थात् व्यक्तित्व है जो तैयार होने पर स्वयं व्यक्ति उसके परिवार समाज व साथ ही समग्र जगत को प्रभावित करता है। व्यक्ति स्वयं के समाज का अभिन्न अंग मानते हुए स्वयं अपने परिवार व अपने देश के भविष्य के संदर्भ में तर्क संगठन और उत्तर दायित्व पूर्ण निर्णय लेकर; इसके लिए उसमें समझ, शक्ति, विवेक, चतुरता, संवेदनशीलता होना परमावश्यक है। जनसंख्या शिक्षा मात्र छोटे या बड़े प्रकार के परिवार का स्वयं निरीक्षित करने का आयोजन नहीं है, वरन् यह व्यक्ति को इस बात के लिए जागरूक एवं शिक्षित बनाने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह यह ज्ञान प्राप्त कर सके कि जनसंख्या की वृद्धि जीवन स्तर एवं वातावरण इन तीनों का निकट का सम्बन्ध है। अर्थात् जनसंख्या वृद्धि वातावरण एवं जीवन स्तर दोनों को ही बुरी तरह प्रभावित करती है। जीवन स्तर का अवलंबन विशेष रूप से खाद्य सामग्री, पर्यावरण वस्त्र, शुद्ध पेय जल, शुद्ध वायु, शिक्षा के साधन एवं भूमि आदि जीवन के अनेक स्रोतों पर आधारित है। इसी प्रकार शिक्षा की सुविधाएं, रोजगार, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं एवं आर्थिक विकास आदि जीवन स्तर को बनाने में आधार स्तम्भ बनते हैं। जब जनवृद्धि अति तीव्र गति से बढ़ती है तो उसपर जीवन स्रोतों की कमी होती जाती है क्योंकि सभी स्रोतों में अधिक भागीदारी के अधिकारी बढ़ते जाते हैं, परिणामस्वरूप जीवन स्तर निम्न से निम्नतर बनता चला जाता है।

जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में अपेक्षाकृत अधिक खाद्य सामग्री, वस्त्र, आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाएं, यातायात के साधन, अधिकाधिक रोजगार
के अवसरों की आवश्यकता खड़ी होती जाती है अर्थात् जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह समझ, ज्ञान उन किशोर बच्चों को देना है जो भविष्य में इस दुर्घटना का शिकार होने जा रहे हैं।

जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य --:

जनसंख्या शिक्षा मनुष्य को उसी प्रकार शक्ति प्रदान करती है जिससे वह धन्तन, मनन कर अपने स्वास्थ्य, समाज एवं देश के हित को समझ सके। आज हमारा देश जनसंख्या वृद्धि की विकासल समस्या से जूझ रहा है। जनसंख्या शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा इस चुनौती का सामना किया जा सकता है। जनसंख्या शिक्षा के विषय की उपयोगिता सिद्ध करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। भारत में प्राचीन समय में ही जनसंख्या शिक्षा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से न केवल सम्पूर्ण शिक्षा पद्धति में सममिलित रही है। बत्तक विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों, पुस्तकों में भी इसके उद्देश्य गिनते हैं। जनसंख्या शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य माने जा सकते हैं --

1. जनसंख्या शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर जनसंख्या का जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन एवं स्पष्टीकरण करती है। जनसंख्या की प्रक्रिया और उसकी वृद्धि के परिणामों का आमास करती है।

2. व्यक्ति एवं कुल में बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रभाव को समझना एवं पारंपरिक सहयोग और उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है।

3. जनसंख्या शिक्षा में जनाभिकी के सिद्धांत, परिवर्तन एवं कार्य कलापों का संज्ञान जैसे जनन्दर, मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जनसंख्या वृद्धि आदि की विस्तृत जानकारी, इन दरों की मौजूदा गणना की जाती है और क्या आवश्यकता है आदि विषयों का ज्ञान करना।

4. युवा-युग में जनसंख्या की वर्तमान वृद्धि, उसकी स्थिति एवं कारणों की जानकारी देना।
5. मानव-जीवन के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर बढ़ती जनसंख्या के कुप्रभाव की जानकारी कराना तथा विकास के कार्यक्रमों की महत्वा बताना।

6. बढ़ती हुई जनसंख्या की विषम परिस्थिति का पर्यावरण पर प्रभाव स्पष्ट करना।

7. जन-शक्ति एवं अन्य संसाधन में असामान्यता पूर्ण स्थिति से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों का विस्तारपूर्वक ज्ञान कराना तथा समाधान के बिन्दु स्पष्ट करना।

8. जिम्मेदार दम्पति के कर्त्तव्यों को बताते हुए परिवार में उच्च स्तर के मातृत्व एवं पितृत्व की भावना का विकास करना।

9. स्वास्थ्य, मातृ शिशु कल्याण, परिवार नियोजित करने के कार्यक्रम, पुष्टावहर एवं विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति हेतु परिवार के बच्चे पर्यावरण हो सके आदि के विषयों पर विस्तृत जानकारी देना ताकि समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति ऊँचे स्तर का जीवन व्यतीत कर सके।

10. विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या सम्बन्धी नीति का ज्ञान कराना।

11. मनुष्य के आपसी सम्बन्धों, पति-पत्नी के नाजुक रिश्ते एवं समाज में इन सम्बन्धों की मान्यता को ऊँचे स्तर पर रखने की आवश्यकता की ओर ध्यान देना।

12. विवाह के पवित्र बन्धन को स्वीकार करते हुए महिलाओं को स्वास्थ्य एवं सामाजिक स्तर को बनायें रखना व्ययों आवश्यक है और इससे अच्छे राष्ट्र का कैसे निर्माण हो सकता है इसकी जानकारी देना।

1969 में जनसंख्या शिक्षा का एक परिसंवाद बम्बई में आयोजित किया गया था, जिसमें जनसंख्या शिक्षा के पहलुओं को स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि –

1. परिवार के कद को इच्छानुसार नियंत्रित किया जा सकता है, इस बात की जानकारी विद्यार्थियों को देनी चाहिए।
2. उनमें ऐसे दृष्टिकोण का विकास करना कि जनसंख्या शिक्षा जीवन को समृद्ध बनाने में सहायक, मार्गदर्शक बनती है।

3. छोटे कद के परिवार एवं व्यक्तिगत जीवन इन दोनों के बीच सीमा सम्बन्ध है, इसका स्पष्टीकरण करना है।

4. परिवार के सदस्यों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, परिवार की आर्थिक समृद्धि के लिए-छोटे कुटुंब का महत्व बतलाना है।

5. भावी पीढ़ी का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए जो अवसर प्रदान करना है, उसे अवसर के संदर्भ में छोटा कुटुंब कितना उपयोगी है, इसके विषय में ज्ञान देना है।

जंगल में जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न खतरों का ज्ञान नई पीढ़ी को कराना है जिससे वे अपने भविष्य को उन्नत बना सके। यह तभी सम्भव है जब उन्हें जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं व प्रशंसन नियन्त्रण सम्बन्धी ज्ञान हो। यह समस्त ज्ञान आज के गुरु वर्ग को कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य मानव विकास के उन समस्त ओकड़ों एवं घटकों का ज्ञान देना है, जो मानव जीवन के बहुमुखी विकास में सहायक हो सके。

जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता -:

जनसंख्या शिक्षा की परिभाषा, उद्देश्य, अंग एवं विभिन्न अंगों के अध्ययन के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि जनसंख्या शिक्षा का भारतवर्ष के संदर्भ में अत्याधिक महत्व है। हमारे देश में लगभग 102 करोड़ व्यक्ति निवास करते हैं और दुनिया के नक्शे में इसका स्थान चीन के पश्चात् द्वितीय है। हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि विस्फोट जनक स्थिति में है, अतः यह आवश्यक है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा अथवा बुजुर्ग, जनसंख्या शिक्षा अवश्य प्राप्त करे। इस प्रकार के ज्ञान से दोहरा लाभ होगा। आलोचना एवं भावी पीढ़ी का कल्याण यदि हम वास्तव में देश की उन्नति चाहते हैं और देश का स्थान विकसित देशों में पहुँचाना चाहते हैं तो हमें यह नारा अपनाना होगा--
“हर एक, सीखें एक, सिखायें एक”

भारत में जनसंख्या शिक्षा का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में भारतीय की जनसंख्या बहुत कम थी, और क्षेत्रीय विस्तार की समानानें अत्यधिक थी, इसलिए इस युग की आवश्यकताओं के अनुरूप जनसंख्या बढ़ाने के लिए भारतीय पूर्वज विवाह के समय बहु विवाह के साथ—साथ अधिक बच्चों की कामना करते थे।

जैसे—जैसे समाज का विस्तार हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई तथा उत्पादन और जनसंख्या के अनुपात में असंतुलन की स्थिति पैदा होने लगी, वैसे—वैसे धार्मिक विचार कोभों में भी परिवर्तन आये, तात्कालिक परिस्थितियों के अनुकूल वैदिक ऋषियों ने भी विवाह संस्था तथा संतानोतप्ति की अवधारणा को जन्म दिया और यह यथा लिया कि पुरुष आजीवन पत्नी के साथ दें। परिस्थितियों के अनुसार जनसंख्या वृद्धि या द्राक्ष की दीर्घता में वैदिक काल से ही परिवर्तन होते रहे हैं और जनसंख्या शिक्षा किसी न किसी रूप में दी जाती रही है। भारतीय संस्कृति और परम्परा में जहाँ एक और जनमानस में अपने शास्त्र मानवीय मूल्यों से चिंतित न होने का गुण है वहीं दूसरी और निरंतर बदलते हुये समाज में परिस्थितियों के अनुकूल अपने को ढालने और सामंजस्य स्थापित करने का गुण सम्भित हो दिखाई देता है। यह ला ले जाता है कि सहस्र वर्षों का उत्तर चढ़ाव के बाबजुद हमारी परम्पराओं और संस्कृति अभी तक अकुल्ल बनी हुई है और मानवता के विकास मार्ग को सदैव प्रशस्त करती आई है।

परिस्थितियों के अनुरूप भारत में ऋषियों, विचारों को आदित्य ने आदर्श जीवन के लिए अपना संदेश समय—समय पर दिया है। अतः जनसंख्या शिक्षा कोई नई शिक्षा नहीं है, यह विभिन्न कालों में विभिन्न प्रकार से विभिन्न उद्देश्यों को लेकर दी जाती रही है। वर्तमान परिस्थिति और मांग के अनुसार यह नितांत आवश्यक है कि बढ़ती जनसंख्या से उत्पन्न कुप्रभावों को रोकने, जनता के बहुमुखी विकास एवं देश का विकसित देशों की श्रेणी में लाने के उद्देश्य से जनसंख्या शिक्षा को देश के जन—जन और कोने—कोने पहुँचाया जाए।
किसी भी राष्ट्र के सम्पूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास में जनसंख्या की अति वृद्धि बाधक बनती है। किसी भी व्यक्ति, समाज व राष्ट्र का विकास जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता को स्वीकृत किये बिना नहीं हो सकता। जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता के अनेक कारण हैं—

9. जनसंख्या विस्फोट --:

सम्पूर्ण विश्व में, विशेष रूप से विकासशील देशों में जनसंख्या वृद्धि की गति अति तीव्र है, मृत्युदर में कमी एवं जन्म दर में वृद्धि के कारण जनसंख्या को नियंत्रित नहीं किया जा रहा है। विकासशील देश जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जन्म दर नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन अपना रहे हैं। इसका सीधा सम्बन्ध उन दम्पतियों से होता है जो अमे एक संतान के जन्म है और अपनी उत्तराधिकार आयु के अन्तरं है, उन्हें परिवार नियोजन करना होगा अन्यथा बहुत बिल्म बन जायेगा। दूसरी ओर इसका सम्बन्ध उन किशोरों से है जो विवाह की आयु की ओर बढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात का ज्ञान प्रदान करना है कि —

क. प्रजनन एक अनिवार्य व अनियंत्रित प्रक्रिया नहीं है, पहले ऐसा माना जाता था कि संतान का जन्म एक संयोग है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अंकुश में नहीं लाया जा सकता इस पुरानी मान्यता से युवकों को मुक्त करना है।

ख. जनसंख्या समस्या का सम्बन्ध मात्र प्रौढ़ पीढ़ी से नहीं है। पहले यह भी मान्यता थी कि युवकों के पास करने के लिए अन्य बहुत से कार्य है जो रुचिकर एवं महत्वपूर्ण है। जनसंख्या समस्या का ज्ञान उनके योग्य नहीं है। आज यह मान्यता उचित नहीं है। किशोर मन में यह संस्कार ढालना है कि जनसंख्या वृद्धि की समस्या में उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में आने वाली है।

2. जनसंख्या और विश्व के प्राकृतिक साधनों में बढ़ता हुआ असंगुलन --:

प्राकृतिक सम्पदा प्रकृति की अमूल्य देन है जो सीमित है, उसमें वृद्धि नहीं की जा सकती, लेकिन आज जनसंख्या असीमित रूप से बढ़ती जा रही है, इस
कारण प्रकृति एवं मानव के बीच एक अस्तित्व घटा हो गया है। लोगों को इस संदर्भ में ज्ञान कराना है कि इस जनसंख्या वृद्धि से भयंकर सर्वनाश हो सकता है। अतः जनसंख्या को नियंत्रित करना होगा। आज यह बात भी सर्वविदित है, कि जनसंख्या अनिश्चित रूप से नहीं बढ़ती।

3. परिवार नियोजन का आम प्रचार- प्रसार --

बहुत से विकासशील देशों ने जनसंख्या नियन्त्रण के लिए राष्ट्रीय नीति, जनमदर्शन नियन्त्रण, परिवार नियोजन आदि प्रोग्राम अपनाएं हैं। इन आयोजनों को जन-जन तक पहुँचाने के लिए बोर्डर, पेंटिंग, पेपरलेट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, रेडियो टीवी इत्यादि सिद्धांत आदि के मदद लेती है। इन सामूहिक माध्यमों से प्रेक्षकों व श्रद्धालुओं को प्रभावित करते हुए जनसंख्या की मदद लेती है। इन सामूहिक माध्यमों से प्रेक्षकों और श्रद्धालुओं को प्रभावित करते हुए जनकी की सभागता अद्वितीय है। अतः इस बात की जरूरत है कि जनसंख्या समस्त के विषय में चूँचना बहुत ही व्यवस्थित ढंग से एवं व्यवस्थित परिवार नियोजन शिक्षा के द्वारा सी हो जानी चाहिए।

4. परिवार नियोजन प्रोग्राम को तीव्र बनाने की आवश्यकता --

शिक्षण संस्थाओं में जनसंख्या शिक्षा देने की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई है कि जनसंख्या समस्ता गम्भीर रूप से धारण न करें, साथ ही वर्तमान में जनमदर्शन करने का उद्देश्य पूरा किया जा सके। परन्तु जनसंख्या वृद्धि की समस्ता इतनी जटिल और विविध रूप से है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम को सफल बनाने में अथवा जनसंख्या को नियंत्रित करने में बहुत समय लगेगा। भारत में परिवार कल्याण का उद्देश्य जन्म दर जो 1969-70 में 38 प्रतिहजार थी, उसे कम करके छोटी योजना के अन्त तक 20 प्रतिहजार तक लाना था, अन्यथा अनेक नवीन समस्तायें जन्म लेतीं। यह बड़ी तीव्रता से, गम्भीरता से अनुभव किया गया है कि इसके लिए दीर्घकालिन व विविध शीर्श आयोजन की आवश्यकता होगी। इसी कार्य की पूर्ति हेतु जनसंख्या शिक्षा
की आवश्यकता अनुमंब की गई है।

५. जनसंख्या-आयु संरचना :-

आयु के आधार पर जनसंख्या के वितरण की समस्या का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे श्रम शक्ति के अनुपात का ज्ञान प्राप्त होता है, साधारण रूप से १५–४५ वर्ष की आयु सत्तानोत्पति की अवस्था मानी जाती है। आज वर्तमान में विकासशील देशों में लगभग ४०–५५ प्रतिशत जनसंख्या का भाग सोलह वर्ष आयु सीमा के अन्दर है। भारत दो दशकों में यह प्रोड जनसंख्या का रूप धारण कर लेगी। अतः प्रजनन के प्रति इस आयु समूह का ध्यान भी दृष्टिकोण होगा, जहाँ महत्वपूर्ण बन जाएगा। इसलिए स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है।

६. भारी जनसंख्या की सफलता हेतु जनसंख्या शिक्षा की आवश्यकता :-

परिवार नियोजन का सम्बन्ध माट्र वर्तमान की पुनरुत्पादन वाली जनसंख्या से नहीं है, इसका सम्बन्ध तो प्रत्येक उस समूह के हर सदस्य से है जो पुनरुत्पादन आयु-समूह में प्रवेश कर रहा है। इसलिए परिवार नियोजन के प्रयाल निर्देश चलते रहने चाहिए। जनसंख्या समस्या एक दीर्घकालीन समस्या है और इसलिए यह आवश्यक बन जाता है कि आने वाली प्रत्येक पीढ़ी को इसका ज्ञान कराया जाए। इस प्रकार जनसंख्या शिक्षा प्रत्येक नई आने वाली पीढ़ी को अपने परिवार में परिवार नियोजन अपनाने के लिए प्रेरणा देगा।

७. “जनसंख्या शिक्षा” उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक एवं प्रभावशाली जीवन शैली तैयार करने का एक माध्यम :-

विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा देने का महत्वपूर्ण कारण है – अतः जन वृद्धि से उत्पन्न होने वाली समस्याओं से युवकों को परिचित कराना। निजिसंघ वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की तेज़ सफार से अनेक अनिष्टों के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। अतः आज कोई भी इस शिक्षा की उपेक्षा नहीं कर सकता। कुछ शिक्षाविद् इस पर जोर दे रहे हैं कि कुछ समय के लिए जनसंख्या शिक्षा को शिक्षण प्रवृत्तियों का एक अंग
बना दिया जाए। परन्तु वास्तव में जनसंख्या शिक्षा का अध्ययन समाज विधाओं के अन्तर्गत किया जा सकता है।

आर्थिक विकास तथा व्यवस्थित जनसंख्या वृद्धि का शिक्षा के साथ यथार्थ सम्बन्ध तथा एक दूसरे पर आधारित होने के कारण हमारी “राष्ट्रीय शिक्षण प्रणाली” के निर्धारकों एवं निर्माताओं ने, जनसंख्या की समस्याओं को समझने एवं चुकाने के लिए, सामाज्य शिक्षा में “जनसंख्या शिक्षा के महत्व को समझा और 1969 में हुए पापुलेशन एजुकेशन के नेशनल सेमिनार बम्बई में एक विशेष पापुलेशन एजुकेशन सेल अन्तर्गत “जनसंख्या शिक्षण कक्ष की स्थापना की नींव-नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग के अन्तर्गत रखी गई। नवम्बर 1973 में “पापुलेशन ग्रोथ एण्ड ह्यूमन डेवलपमेंट” विषय पर इंडियन सोशल इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा कक्ष के प्रमुख प्रो 30 एसो मेहता ने “जनसंख्या शिक्षा” का महत्व समझाते हुए जनसंख्या शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तरीय शिक्षा में आवश्यक विषय के रूप में पढ़ाने को जोरदार सिफारिश की, जिससे कि अधिक से अधिक युवा वर्ग जो कि आने वाली भविष्य की पीढ़ी का निर्माता है। जनसंख्या वृद्धि से पैदा होने वाली समस्याओं के प्रति जागरूक रह कर अपने परिवार के नियन्त्रण के बारे में उचित निर्णय ले सकें। केंद्र सरकार द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम को तीत्र गति देने के लिए एक विशेष कार्यनीति निर्धारित की गई है जिसके अनुसार स्कूलों व कालेजों के छात्रों के साथ न पढ़ने वाले युवकों को भी जनसंख्या समबन्धी शिक्षा दी जायेगी। इस कार्य को सरकारी, विभागों, एजेंसियों व संगठित क्षेत्रों द्वारा सभी कार्यकर्ताओं के लिए चलाये जाने वाले शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू किया जायेगा। साथ ही महिलाओं को शीघ्र साक्षर बनाने की दिशा में प्रयास तेज किए जायेगा, अधिक सुविधाएं चुलबुल कराई जाएगी ताकि महिला वर्ग जनसंख्या नियन्त्रण में पूरा योगदान दे सके।
'सन् 1962 में शिक्षाशास्त्री' श्री वारेन धाम्यस्यन ने अपनी रिपोर्ट (टीचर्स कालेज टीचर्स) में, सामान्य शिक्षा के बारे में मत व्यक्त करते हुए 'जनसंख्या शिक्षा' के बारे में भी उल्लेख किया जिसका सारांश यह है "कि शिक्षा का उद्देश्य प्रजातात्त्विक सरकार में अपने नागरिकों को आधुनिक जीवन की जटिल समस्याओं, परिस्थितियों से अवगत कराना है और उन समस्याओं को हल करने के लिए एक पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। आज अनेकानेक समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या वृद्धि है जो व्यक्ति, समाज व देश को बाध्य एवं आत्मसहाय रूप से प्रभावित करती है। इस समस्या को दूर करने के लिए युवकों को सामाजिक, आर्थिक नीतियों से अवश्य अवगत कराना होगा, नहीं तो ऊपर से थोपी गई कोई भी नीति सफल नहीं बन सकेगी।" 6

"फिलिप एस होस्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि आज भी विश्व के विभिन्न जनसमूहों में जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा का अंग नहीं बन पाया है जबकि वर्तमान जनसंख्या के संदर्भ में इसे शाली अध्ययन का एक आवश्यक अंग बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि—

"Information about population should be regarded as an essential part of general education" 7

इण्डियन एजुकेशन कमीशन 1964–66 ने जनसंख्या की समस्या को महत्त्वपूर्ण समस्या समझकर यह सिफारिश की—"शिक्षा को, राष्ट्रीय योजनाओं को सफल बनाने हेतु, एक प्रभावशाली माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाए, जिससे कि व्यक्ति समाज व देश का कल्याण हो। गुजरात व सरदार पटेल विश्वविद्यालय को इस बात का श्रेय जाता है कि सर्वप्रथम इसने 'जनसंख्या शिक्षा' को 'को-ऑपरेशन' कोर्स के रूप में अपनाया। यह कोर्स कॉलेज के तीनों वर्षों में जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा और इसे अनुसन्तानत कक्षा तक ले जाने की सम्भावना पर आशा व्यक्त की गई है।" 8
विकासशील देशों में जनवृद्धि के अनेक कारण हैं जैसे—बाल—विवाह,
अशिक्षा, भारतीय दृष्टिकोण, धार्मिक अंतर्विवास, परम्परागत निर्देशक मान्यतायें आदि
जिनकी जड़ें बहुत गहराई तक समाज में पहुँच गई हैं, जिनके अनेक सामाजिक, धार्मिक
v मनोवैज्ञानिक आधार है उन्हें जडाॅूल से उछाले फंकने का एक ही सही सशक्त उपाय
है और वह है— 'जनसंख्या शिक्षा'।

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि 'जनसंख्या शिक्षा' आने वाली पीढ़ी को
इस बात के लिए तैयार करती है कि वे जीवन व समाज की वास्तविकताओं, संस्थाओं का
सामना करने में समर्थ बन सकें। साथ ही वे 20वीं शती की जनवृद्धि से उत्पन्न होने
वाली भर्तीकर स्थिति से अवगत हो सकें और जनसंख्या मन्दिर के विषय में जागरूक
बन सकें। इसके द्वारा आज की शिक्षा संस्थाओं इस समय की जनवृद्धि की चुनौती का
सामना करने के लिए युवकों को तैयार करेंगी। उन्हें ऐसी नई पीढ़ी तैयार करनी होगी
जिसका अपना स्वतंत्र अर्थत्व हो, अपना निजी व्यक्तित्व हो, अपनी दृष्टि हो, अपना
बनाया हुआ उन्नत रास्ता हो एवं उनका जीवन सभी सुख सुविधाओं से सम्पन्न उच्च
स्तर का हो। 'जनसंख्या शिक्षा' द्वारा आज का पुनः वर्ग स्वर्य का तथा आने वाली
पीढ़ियों का जीवन सुखी समृद्ध सुविधाविशिष्ट, उच्चतर एवं संवरा हुआ बना सकता है।

जनसंख्या शिक्षा - आवश्यक आधार एवं लीकित -:

हमारे देश में पिछले पांच दशकों की लगतार योजना के बावजूद हम
अपनी सर्वाधिक गम्भीर समस्या 'जनसंख्या को नियन्त्रित करना'— को हल नहीं कर
सके पर वास्तव में इस दिशा में किये गये हमारे सम्पत्र प्रयास खोखले साबित हुए
हैं। यद्यपि जनसंख्या बृद्धि नियन्त्रित होने के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विधानों द्वारा कई
कारण लिये जाते रहे हैं। किन्तु इन सबमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण यह रहा है कि
हम अपने देश में आम जनता को उंचित रूप से जनसंख्या शिक्षा प्रदान नहीं कर सके।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनसंख्या शिक्षा आम
मनुष्य को एक ऐसी शक्ति प्रदान करेगी। जिससे वह चिन्तन एवं मनन कर अपने
स्वास्थ्य, समाज एवं देश के हित को समझ सकेगा। जनसंख्या के उद्देश्यों एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही हमारे देश में प्राचीन समय से ही जनसंख्या शिक्षा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न केवल समूह शिक्षा पद्धति में समर्पित रही है, बल्कि विभिन्न धार्मिक एवं आध्यात्मिक ग्रंथों एवं पुस्तकों में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक समय में भी विभिन्न शिक्षाविदे, एवं जनसंख्या विशेषज्ञ इस बात को स्वीकार करते हैं, कि जनसंख्या समस्या को हल करने के लिये आम-जनता को जनसंख्या शिक्षा देना अति आवश्यक हो गया है। परन्तु यह शिक्षा प्रदान की जाये, शिक्षा के किस स्तर से यह शिक्षा आरम्भ की जाये ? शिक्षा के किस स्तर पर जनसंख्या शिक्षा के किस अंग की शिक्षा दी जाये ? जनसंख्या शिक्षा का माध्यम कैसा हो ? इत्यादि के सम्बन्ध में इन विचारों में मतभेद रहे हैं। वास्तव में जिस प्रकार बिना किसी ठोस आधार एवं सोची समझी रणनीति के अभाव में जनसंख्या को नियंत्रित करने के हमारे सभी प्रयास असफल रहे हैं। उसी प्रकार यदि जनसंख्या शिक्षा के लिये भी यदि पहले कोई आधार नहीं बनाया गया एवं सोच समझ कर नीति तैयार नहीं की गयी तो समस्यातिह यह उपाय भी कारगार सिद्ध नहीं हो सकेगा।

वास्तव में जनसंख्या शिक्षा किसी एक विषय अथवा जीवन के किसी एक पहलू को ध्यान में रखकर नहीं दी जाती बल्कि मानव के बहुभाव विकास को वृद्धि में रखते हुए दी जाती है। अतः जनसंख्या शिक्षा का उद्देश्य आधार तभी तैयार हो सकेगा जब पहले से यह निर्देशित हो सके कि इस शिक्षा के अन्तर्गत किन-किन बातों का समावेश होना चाहिए।

जनसंख्या शिक्षा के पादयोग्य में निम्नलिखित बिन्दुओं को आवश्यक रूप से सममिति किया जाना चाहिए—

9. जनसंख्या समन्वयी आँकड़े—:

de, pradesh, jiha, nagar एवं प्राचीन क्षेत्रों में कुल किसी जनसंख्या है, किस गति से वह बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है, कब से बढ़ रही है, ऐसी बातें जनसंख्या
के आंकड़ों से जानना चाहिए। जनसंख्या आंकड़ों सम्बन्धी विषय को ‘डेमोग्राफी पापुलेशन स्टडी’ आदि की भी संख्या दी जाती है। इस विज्ञान द्वारा हम यह जानकारी कर सकते हैं कि किसी विशेष समय में देश की जननदर क्या है, मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, शुद्ध पुनरुत्पादन की क्या महत्ता है, यह कैसे निकाला जाता है, आदि की जानकारी इसी ज्ञान से प्राप्त है। उदाहरण के तौर पर भारत वर्ष की जनसंख्या 1901 में 24 करोड़ थी, जो 2001 में 102.7 करोड़ हो गयी यह जानकारी हमें इसी विज्ञान से प्राप्त हो सकती है। जनसंख्या के आंकड़े 10 वर्षीय जनगणना द्वारा जन्म—मृत्यु पंजीकरण एवं विभिन्न प्रकार के शोध अध्ययनों से प्राप्त कर सकते हैं।

2. स्वास्थ्य एवं हाइजीन --:

जनसंख्या के स्वास्थ्य का क्या स्तर है। हाइजीन का कितना ज्ञान है, इसकी जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा का अंग मानी जाती है। स्वास्थ्य का स्तर जानने के लिए प्रदेश के विभिन्न भागों में कितने अस्पताल है, कितने चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में कार्यरत है, कितने चिकित्सक प्राइवेट तौर पर सुविधाएं दे रहे हैं आदि का ज्ञान लाभकारी होता है। युवा पीढ़ी के सदस्यों को व्यक्तिगत ‘हाइजीन’ जैसे—शरीर की सफाई, दौड़ की सफाई, शरीर की विभिन्न जरूरतों का ज्ञान आदि भी इसमें सम्मिलित रहता है। अस्पतालों में कितनी शैक्षणिक उपलब्ध है। एक शैक्षणिक पर कितने रोगी सेवा प्राप्त कर रहे हैं। एक चिकित्सक कितने रोगियों को देखने के लिये उपलब्ध है, आदि की जानकारी भी इसी विज्ञान से प्राप्त होती है।

3. सफाई स्वच्छता एवं पर्यावरण --:

वातावरण की स्वच्छता, पानी की स्वच्छता सम्बन्धी ज्ञान भी जनसंख्या शिक्षा के अंग है। पर्यावरण कैसे स्वच्छ बनाया जाना चाहिए इसकी क्यों आवश्यकता है? दृष्टि पर्यावरण से मानव के जीवन और स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा द्वारा दी जानी चाहिए। पेड़ पौधों से किस प्रकार
ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिये आवश्यक है। जनसंख्या के बढ़ने से पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि से पेड़ पौधों का द्वार होता है। इसलिए वनस्पतिदार मानव के लिये आवश्यक है।

4. प्रजनन एवं परिवारिक जीवन -:

स्त्री एवं पुरुष के सारी में प्रजनन के कौन-कौन से अंग हैं, इसकी जानकारी जनसंख्या शिक्षा द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। विवाह की आयु क्या होनी चाहिए, इसका परिवार में बच्चों की संख्या से क्या सम्बन्ध होता है आदि विषय भी जनसंख्या शिक्षा में समिलित किये जाते हैं, शिक्षा के गर्मकाल एवं प्रस्ताव के बाद माताओं को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इत्यादि बातें भी जनसंख्या शिक्षा द्वारा सिखाई जानी चाहिए।

5. खाद्य एवं पौष्टिक आहार -:

मनुष्य की मूलभूत तीन आवश्यकताओं में भोजन एक है। किस आयु वर्ग के लिए किस प्रकार के और कितनी मात्रा में भोजन की आवश्यकता है, प्रतिदिन मनुष्य को कितनी मात्रा में और कौन-कौन सा भोजन खाना चाहिए यह जानकारी इसी शिक्षा के अन्तर्गत प्राप्त होती है। पौष्टिक आहार किन-किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है और क्या पौष्टिक आहार प्राप्त करने के लिये अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता है इस विषय को लेकर भी जनसंख्या शिक्षा में चर्चा की जाती है। उदाहरणस्वरूप अमूर्त के तत्त्व किसी भी अर्थ में सेव के तत्त्वों से न्यून नहीं होते। किन्तु सेव की अपेक्षा अमूर्त बहुत सत्ता ऊपरव्य है, जिससे सीमित साधन बाला व्यक्ति भी खा सकता है। अतः धन की कमी की हालत में अमूर्त का सेवन करके भी व्यक्ति सेव के बराबर पौष्टिक आहार प्राप्त कर सकता है।

6. परिवार परिस्थितिया -:

परिवार में यदि बच्चों की संख्या बढ़ जाती है और संसाधनों की कमी है तो उसमें सामजिक कैसे स्थापित किया जाए। इसकी जानकारी भी जनसंख्या शिक्षा ही
देती है। परिवार सीमित करने के क्या-क्या स्थायी अस्थायी साधन है, किस साधन में क्या अच्छाई बुराई है कहाँ से चिकित्सकों एवं साधनों की सेवा जुँकियाँ प्राप्त की जा सकती है, यदि परिवार में दम्पति को बच्चा नहीं प्राप्त हो रहा है तो चिकित्सक द्वारा पूर्व परीक्षण दवाइया अथवा शल्यक्रिया से दम्पति की सहायता करना। मौटे तौर पर परिवार परिसंचरण का कार्यक्रम कम बच्चों का ही नहीं है, बल्कि बच्चे न होने की दशा में सहायता करना भी है।

५. मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम --:

समाज में गर्भवती माताओं एवं शिशुओं का विशेष स्थान है। क्योंकि माता ही परिवार में सब प्रकार की शिक्षा देती है और परिवार के सदस्यों का ध्यान रखती है। यदि माता का ही स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसे बांछित वैदिक भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, रोगों से बचने के लिये जिन ठीकों और दवाइयों की आवश्यकता है वह नहीं प्राप्त होती, तो परिवार का स्तर कभी भी ठीचा नहीं उठ सकता है। इसी प्रकार नवजात शिशुओं के लिये प्रथम एक वर्ष तक विशेष तौर पर और उसके बाद भी लगभग 4 वर्ष की अवस्था तक विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि शिशुओं को रोगों से बचाया जा सके, और ठीची मृत्यु न महसुल में कभी लाई जा सके। साथ ही माताओं की प्रसव से पूर्व, प्रसव के समय एवं प्रसवोपरांत किस प्रकार से देखभाल होनी चाहिए आदि बातों की जानकारी मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम से की जा सकती है। इस कार्यक्रम को भली-भाँति क्रियान्वित करके माताओं की प्रसव के समय स्वास्थ्य मृत्यु से काफी हद तक छुटकारा पाया जा सकता है।

जनसंख्या शिक्षा के लिये ठोस आधार की तैयारी में जनसंख्या शिक्षा के अंगों के नियोजकीयकरण के बाद एक अन्य महत्त्वपूर्ण समय का निर्देशित करना भी रहती है, कि शिक्षा के इन विभिन्न अंगों में से किस-किस अंग को शिक्षा के किस स्तर पर पढाया जाय। यद्यपि इस समय में भी विद्वानों में बड़े विवाद है। कुछ विचारों में जनसंख्या शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस स्तर पर ही
छात्रों की संख्या सर्वाधिक होती है और इस समय वे किसी भी तथ्य को ग्रहण करने के लिये संवेदनशील भी होते हैं, इसके अतिरिक्त इस समय जो संस्कार पड़ जायेंगे वे ही भविष्य के व्यवहार की आधारशिला बनेंगे। परन्तु कुछ लोग इसका विरोध करते है और कहते है कि इससे एक और तो बच्चों पर पाठ्यक्रम का बोझ जुरूत से ज्यादा हो जायेगा। दूसरी ओर उम्र की इस दौर में ही जनसङ्ख्या वृद्धि और उसके परिणामों को बताकर अनुक्रमक्रम भविष्य की कल्पना कराकर उनके मन में निराशा और डर की भावना पैदा नहीं करनी चाहिये। इन विद्वानों के विचार में जनसङ्ख्या शिक्षा निम्न माध्यमिक और माध्यमिक स्तर पर आरम्भ की जानी चाहिये ही विश्वविद्यालय के स्तर तक भारत में बहुत ही कम लोग पहुँचते है। अतः इस उस स्तर के पाठ्यक्रम में स्थान देने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु वास्तविकता यह है कि यह दोनों ही विचार एक दम ढीक प्रतीत होते। आवश्यकता यहाँ पर पुनः नियोजन करने की है, वास्तव में जनसङ्ख्या शिक्षा के कई अंग है। जिसमें से कुछ स्वयं स्वास्थ्य एवं हाइजीना, सफाई, स्वच्छता एवं पर्यावरण खाद्य एवं पौष्टिक आहार इत्यादि की शिक्षा बच्चों को प्राथमिक स्तर पर ही प्रारम्भ करायी जानी चाहिये। क्योंकि इससे न तो बच्चों पर अतिरिक्त पाठ्यक्रम का कोई बोझ पड़ जायेगा और न ही उन्हें प्रत्यक्ष रूप से प्रजनन एवं पारिवारिक जीवन तथा जनसङ्ख्या वृद्धि के भयानक परिणामों की जानकारी अभी न देकर भविष्य के प्रति आशावाद बनाया जा सकेगा। इसमें संदेह नहीं है कि प्राथमिक स्तर में बच्चा जिस उम्र में होता है। वह बहुत अधिक संवेदनशील होता है तकः इस समय उसे जनसङ्ख्या शिक्षा के समस्त अंगों से परिचित करना भी जितना होता है। परन्तु जहाँ प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई प्रीड़ शिक्षा के अन्तर्गत हो रही है। वहीं इसी स्तर पर प्रीड विद्वानों को जनसङ्ख्या शिक्षा के समस्त अंगों एवं उद्देश्यों अवश्य परिचित कराया जाना चाहिये। विशेषतः में जनसङ्ख्या शिक्षा का प्रारम्भ बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर सीमित एवं चयनित रूप में तथा प्रीड के लिये विस्तृत एवं सम्पूर्ण रूप में किया जाना चाहिए। जब बच्चों निम्न माध्यमिक एवं माध्यमिक स्तर पर आते जाये वैसे-वैसे उन्हें जनसङ्ख्या वृद्धि
के दुष्परिणामों से अधिकाधिक परिचित कराया जाना चाहिए। यह सोचना आज गलत है कि विश्वविद्यालय स्तर पर बहुत कम छात्र पहुँचते हैं।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र वयस्क होने लगता है और बात को अधिक समझने लगता है। अतः इस स्तर पर भी जनसंख्या शिक्षा का विशेष अध्ययन ठीक उसी प्रकार कराया जाना चाहिए जैसा कि अन्य विषयों का भी कराया जाता है।

जनसंख्या शिक्षा को व्यापक स्तर पर आरम्भ करने से पहले उसके लिए किये जाने वाली आवश्यक तैयारी में यह बात भी आवश्यक है कि यह निश्चित किया जाये कि जनसंख्या शिक्षा को विभिन्न स्तरों पर अन्य विषयों में इसे जोड़ कर न पढ़ाया जाये बल्कि इसे एक अलग विषय के रूप में स्थान दिया जाये। इसका कारण यह है कि यदि प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित प्रकरणों को इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, गृहविज्ञान अथवा जीव विज्ञान इत्यादि विषयों के साथ जोड़ कर पढ़ाया जाता है तो मुख्य विषय के महत्त्व के आगे इन प्रकरणों का महत्व गौरूं हो जाता है और इसीलिए न तो उनें ठीक से पढ़ाया जाता है और न ही विद्यार्थी एवं अभिभावक इन्हें अधिक महत्त्व देते हैं। इसके विपरीत यदि जनसंख्या शिक्षा को, भले ही बहुत छोटे पादर्थक्रम के साथ, एक पृथक विषय के रूप में पढ़ाया जाये। हर स्तर पर उसकी पृथक परीक्षा भी हो, जैसी कि अन्य विषयों ने होती है। तो न केवल विद्यार्थी की वृत्ति में बलिक शिक्षक एवं अभिभावक की वृत्ति में भी जनसंख्या शिक्षा अन्य विषयों की भाँति महत्त्वपूर्ण हो जायेगी और तब इसका पठन एवं पाठन दोनों की गम्भीरता के साथ किये जायेगे और तब विद्यार्थी अपने जीवन में कुछ न कुछ तो अवश्य ही ग्रहण करेगा। इस समबन्ध में यह भी आवश्यक है कि शिक्षण प्रशिक्षण स्तर पर जनसंख्या शिक्षा को अवश्य ही रखा जाय क्योंकि जब तक शिक्षकों को ही जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी विषय सामग्री और उसके पढ़ाने के तौर तरीके मालूम नहीं होंगे तब तक वह ठीक से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा सकेंगे। जनसंख्या शिक्षा के
लिए आवश्यक आधार तैयार करना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह भी आवश्यक है कि 
जनसंख्या शिक्षा के लिए एक उचित नीति बनाकर क्रियाविधि भी की जाये। इसके 
अन्तर्गत समाज में शिक्षकों, विभिन्न ऐच्छिक सामाजिक संगठनों एवं सरकार आदि सभी 
को बड़ी गम्भीर भूमिका की आवश्यकता होगी।

वास्तव में जनसंख्या शिक्षा को स्कूली पादृष्ट्र के स्थान देने पर ही 
उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती इसके लिए पहले तो शिक्षक को हृदय से इस 
उत्तरदायित्व को स्वीकारना होगा। तत्पश्चात् दोहरी भूमिका का निर्वाह करना होगा। 
पहली भूमिका तो उनकी यह है कि अपने विद्यालय के बच्चों को जनसंख्या शिक्षा में 
उनके शैक्षिक स्तर के अनुकूल हो उनको समस्या अवगत कराया जाये। विषय की 
रोचकता बनाये रखने के लिए विभिन्न भाषा वाद विवाद और नाटक प्रदर्शन आदि जैसे 
पादृष्ट्र भी आयोजित किये जाये, विद्यालय में जब कभी भी कोई प्रदर्शनी लगे तो 
उसमें एक जनसंख्या शिक्षा से सम्बन्धित हो। इस सम्बन्ध में निरंतर शिक्षा सरबराहक 
प्रभावी होगी। शिक्षकों की दूसरी भूमिका यह होनी चाहिए कि वे विद्यालय के बाहर के 
युवकों को भी जनसंख्या शिक्षा में। इसके लिए शिक्षक विद्यालयों में इन युवकों को अपने 
तत्सम्बन्धी कार्यों में भाग लेने का आवश्यक दें। जब कभी भी विद्यालयों में जनसंख्या शिक्षा 
सम्बन्धी, भाषा, वाद-विवाद, प्रदर्शनी अथवा चलचित्र आदि का आयोजन हो तो इन 
युवकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए इसमें अतिरिक्त शिक्षकों को जनसेवा कार्यों के 
अन्तर्गत नगर और ग्रामों की जनता के पास पहुंच कर इस प्रकार के कार्यक्रमों का 
आयोजन करना चाहिए।

शिक्षकों के अतिरिक्त समाज में विद्यालय विभिन्न समाजसेवी एवं ऐच्छिक 
संगठनों को भी जनसंख्या शिक्षा के कार्य के लिये आगे आना चाहिए। यह संगठन अपने 
कार्यकारियों द्वारा अपने एवं क्षेत्र के विशेष में इस शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों 
को विभिन्न प्रदर्शनियों, मेले, भाषणों आदि के माध्यम से विभिन्न उपयोगों से आम जनता 
की रचना बनाये रखने के लिए यह शिक्षा प्रदान करना चाहिए।
जन-शिक्षा के सबसे आधिक प्रभावशाली साधन हैं – पोर्टर, पत्र, पत्रिका, रेडियो, टेलीविजन, नाटक और चलचित्र जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी केंद्रीय और प्रान्तीय विभागों को इस कार्यक्रम को प्रोड करना चाहिए और प्रोड करने की लिखने–पढ़ने, सामान्य जीवन की जानकारी, अपने अधिकार एवं कर्त्तव्यों की जानकारी के साथ – साथ उन्हें जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक करना चाहिए। इसके लिए छोटा परिवार सुखी परिवार के पोर्टर लगाने चाहिए, पत्र पत्रिकाओं में जनसंख्या शिक्षा सम्बन्धी सामग्री प्रकाशित की जानी चाहिए, रेडियो पर वार्तायें एवं नाटक प्रसारित करने चाहिए, टेलीविजन नाटक और चलचित्रों द्वारा विवादों को जीवित रूप दिया जाना चाहिए। इससे स्कूल के बच्चे और स्कूल के बाहर के व्यक्ति सभी लाभान्वित होंगे।

जनसंख्या समस्या एवं परिवार नियोजन --:

भारत में जनसंख्या समस्या के दो पहलू है, प्रथम संख्यात्मक द्वितीय गुणात्मक। संख्यात्मक पहलू के अन्तर्गत, भारत में भू-क्षेत्र की तुलना में जनाधिकृत एवं जनसंख्या घनत्व अधिक है व आश्रित अनुपात अधिक, जनसंख्या का वितरण असमान है तथा जनसंख्या वृद्धि दर अनियमित है। इसी प्रकार समस्या के गुणात्मक पहलू के अन्तर्गत हमारे देश में विद्यमान कुल जनसंख्या के लिए वस्त्रहार एवं सेवाओं का पर्याप्त एवं कुशल उत्पादन नहीं, उत्पादित वस्त्रहार एवं सेवाओं का न्यायमुक्त वितरण नहीं, जीवन स्तर बहुत नीचा तथा स्वास्थ्य दशायें बहुत शोचनीय हैं। अतः जनसंख्या की समस्या के कारण हल के लिए यह नितांत आवश्यक है कि नीति ऐसी हो जो समस्या के दोनों पहलुओं पर चौंक करे। इस वृद्धिकोण से परिवार नियोजन कार्यक्रम अत्यधिक उपयुक्त है। क्योंकि इस कार्यक्रम के भी दो पहलू है— प्रथम, जनसंख्या नियन्त्रण तथा द्वितीय मातृ एवं शिशु कल्याण। जनसंख्या के संख्यात्मक पहलू को परिवार नियोजन कार्यक्रम के विभिन्न उपायों के द्वारा हल कर जनसंख्या के आकार को नियंत्रित किया जा सकता है। यही परिवार नियोजन कार्यक्रम का मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम जनसंख्या समस्या के गुणात्मक पहलू का भी हल प्रस्तुत कर सकता है। क्योंकि स्वस्थ
एवं शिक्षित माँ स्वाभाविक एवं निश्चित रूप से अपने शिशु को भी स्वस्थ्य एवं शिक्षित रखेगी और यही शिशु भविष्य में बड़ा होकर स्वस्थ्य एवं शिक्षित समाज का अंग बन सकेगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का औचित्य -:  

. भारत जैसे अर्थविकसित देश में परिवार नियोजन की आवश्यकता को समय की सबसे प्रमुख आवश्यकता कहा जाता है, क्योंकि प्रतिदिन सैकड़ों बच्चों का आगमन चिंता का विषय बन गया है। यदि जन्मदर में कभी नहीं लायी गयी तो, देश में जनसंख्या के ज्वालामुखी का भंगकर विस्फोट दाला नहीं जा सकेगा। इसके लिए संतति निरोध की उचित विधियाँ को अपनाना आवश्यक है। परिवार नियोजन देश में तो विषमावधार से परिवार-नियोजन उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। भारत में जनसंख्या बढ़ी तेजी से बढ़ रही है। मौजूदा जनसंख्या 1 मार्च 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 1,027,015,247 है। जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 1.95 प्रतिशत है।

साथ ही भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के प्रसार से मृत्युदर में कमी आ गयी है और जन्म दर को कम करने के लिए जनसंख्या की अत्याधिक वृद्धि को कम किया जा सकता है। जन्म दर में कभी करना आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक, नैतिक, राजनैतिक सभी दृष्टिकोणों से आवश्यक है। भारत में परिवार नियोजन की अनिवार्यता को निम्न संदर्भ में स्पष्ट कर सकते हैं।

9. आर्थिक -:  

आर्थिक कारणों के आधार पर जन्म दर में कभी होना आवश्यक है, क्योंकि राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की वृद्धि की बढ़ती हुई जनसंख्या निष्कर्ष कर देती है। जनसंख्या तभी कम हो सकती है, जब प्रत्येक दम्पति परिवार द्वारा अपने बच्चों की संख्या कम करने का प्रयास करें। बच्चों की अच्छी शिक्षा, आवास, उचित पोषण और अन्य सुविधाओं प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि परिवार के आकार पर नियंत्रण रखा जाये।
भारत का ही उदाहरण ले, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो जायेगी। भारत पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 3.8 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 1.25 प्रतिशत के हिसाब से औसत वार्षिक वृद्धि हुयी। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आघे से भी अधिक भाग को जनसंख्या की वृद्धि ने पर हड़प लिया। बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण देश में बेरोजगारी की समस्या और अधिक जटिल हो गयी है। विस्फोटक गति से बढ़ती हुयी जनसंख्या हमारी जीवन स्तर को निम्न बनाती जा रही है। भारत में 87 प्रतिशत परिवार केवल जीवन–निर्वाह के लिए बराबर आय पाते हैं। अतः रहन–सहन का स्तर अत्यंत शोचनीय है। भारत में 1968 में दिल्ली में 63 प्रतिशत, कलकत्ता में 72 प्रतिशत, बम्बई में 72.3 प्रतिशत, मद्रास में 67.5 प्रतिशत अहमदाबाद में 65.3 प्रतिशत, हैदराबाद में 46 प्रतिशत तथा कानपुर में 62 प्रतिशत व्यक्ति केवल एक कमरे में रहते हैं। तेजी से बढ़ती हुयी जनसंख्या के कारण आवास की समस्या सुधरने के बजाय दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही है। अतः यदि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करना है, बेरोजगारी तथा आवास की समस्याओं का समाधान शीघ्र ही करना है तो परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या को बढ़ने से रोकना बहुत आवश्यक है।

अशोक मेहता के शब्दों में “परिवार कल्याण आर्थिक विकास को गति प्रदान कर उसे संचालित भी रख सकता है।”

2. सामाजिक -: 

परिवार नियोजन का उद्देश्य केवल परिवार के आकार को सीमित करना ही नहीं है, बल्कि युवक युवतियों का विवाह, पितृत्व या मातृत्व के योग्य बनने, काम सम्बन्धी शिक्षा, विवाह सम्बन्धी सलाह मशाविश्वा आदि देना है। अतः परिवार नियोजन से महत्वपूर्ण सामाजिक उत्थान होगा। विशेष रूप से स्त्रियां बच्चा पैदा करने की मशीन एवं वासना की तुलित का साधन मात्र ही नहीं समझी जायेगी, वे फिर
सामाजिक कार्यक्रमों में अधिक भाग ले सकेंगे। परिवार नियोजन पारिवारिक कलह, संघर्ष, तनाव और परेशानियों को दूर करने का एक प्रभावपूर्ण साधन है। बच्चों की संख्या सीमित रहने से स्त्रियों को भी आत्मोन्नति के लिए अधिक समय मिलेगा।

3. नैतिक -:

परिवार नियोजन का अपनाया जाना नैतिक दृष्टिकोण से भी वाणिज्य है, क्योंकि पिछली सदियों में विश्व के विभिन्न भागों में मनुष्य जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए शिशु हत्या तथा नवजात बच्चों के प्रति लापरवाही किया करते थे, परन्तु संतति निग्रह के आधुनिक तरीकों का उपयोग करने से ऐसी कोई समस्या सामने नहीं आती।

4. राजनैतिक -:

आधुनिक युद्ध की सफलता सिपाहियों (जनसंख्या) की अधिकता पर निर्भर नहीं करती हैं, बल्कि युद्ध की आधुनिक सामग्री, साम्राज्य वृह रचना आदि पर निर्भर करती है। इसके लिए देश को आर्थिक वृद्धि से समृद्धिशाली होना चाहिए और इसके लिए परिवारों का आकार छोटा होना आवश्यक है, तभी देश में खाद्य, बेरोजगारी, आवास की समस्याएं नहीं होगी, लोगों के रहन-सहन का स्तर और स्वास्थ्य अच्छे होंगे और राजनैतिक स्थिरता बनी रहेगी।

5. स्वास्थ्य और सुरक्षा -:

बच्चों के ठीक पालन-पोषण के लिए माताओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए परिवार-नियोजन आवश्यक है। 'दिल, फेफड़े, गुर्दे के किसी रोग, खून की कमी, पागलपन और गर्म में रक्त तथा दृष्टि रोग वाली स्त्री को गर्भवती भनने उसके और बच्चे दोनों के साथ घर अन्याय करना है।

कुछ व्यक्तियों का विचार है कि जैसे-जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है तथा उनके बीच अंतर कम रहता है तो वैसे-वैसे बच्चों की मृत्यु की दर अधिक होती जाती है। डॉ. बुडवरी "Woodbury" ने अपनी पुस्तक "मैटर्नल मोर्टलिटी" में लिखा
है कि “यदि प्रथम बच्चा एक ही वर्ष के उपरान्त पैदा हो जाए, तो 1000 में से 147 बच्चे
शायद अपने जन्मदिन को न देख सके, यदि दो वर्ष बाद पैदा हो, तो यह मुल्य-दर
99/1000 रहेगी और तीन वर्ष बाद पैदा होने पर यह दर घटकर 86.5/1000 हो
जायेगी।”

परिवार नियोजन कार्यक्रमों के अंतर्गत सुप्रजनन कार्यक्रमों को अपनाकर,
जनसंख्या के गुणों में सुधार किया जा सकता है। सुप्रजनन कार्यक्रम का अर्थ है क्षय,
कोड़ तथा असाथ्य बीमारियों या योनि बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों का अनिवार्य रूप
से बन्धकरण, स्वस्थ्य, सुयोग्य, तीव्र बुद्धि वाले तथा निरोग व्यक्तियों को चुनकर उन्हें
संतान की उत्पत्ति के लिए प्रोत्साहित किया जाए।” अनेक मूर्ख पुत्रों की तुलना में एक
ही गुणवत्ता पुत्र कुल को आलोचित करने के लिए पर्याप्त है, जिस प्रकार आकाश के
अंधकार को दूर करने के लिए एक चन्द्रमा पर्याप्त है, न कि असंख्य टिमटिमाते सितारे।

भारत में परिवार-नियोजन

विकास एवं कार्यक्रम का आरम्भ –:

भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक प्रभावशाली
तरीका परिवार नियोजन है जिसमें यह आशा की जाती है कि लोग छोटे एवं स्वस्थ्य
परिवार के सिद्धांत का अनुपालन करेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम को जनवरी 1982
में घोषित प्रधानमंत्री के नए 20 सूची कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। इसमें
परिवार नियोजन को जन आन्दोलन के रूप में स्वच्छत्व आधार पर बढ़ावा देने की बात
कही गई है। यह उत्साहजनक तथ्य है कि भारत सरकार के स्वस्थ्य एवं परिवार
कल्याण मंत्रालय ने एक सुसंगठित दीर्घकालीन कार्यनीति तैयार कर दी है, ताकि छोटे
परिवार के सिद्धांत को फूर्ति: स्वच्छत्व आधार पर अपनाना सुनिश्चित किया जा सके।
इस नीति की निम्न बातें हैं — बहुप्रधान साधनों और वैयक्तिक और जानकारी देने के
जोरदार प्रयास करना, लोगों के घरों के निकट परिवार कल्याण की सेवाएं और सामग्री
प्रदान करना, महिलाओं को तेजी से साक्ष्य बनाने की सुविधाएं सुलभ करना, स्कूलों और
कॉलेजों में तथा स्कूलों के बाहर युवाओं को जनसंख्या, समबन्धी शिक्षा देना, अन्य समस्याएँ दूर करने और विभागों के साथ सम्बन्ध स्थापित करना, लड़कियों और लड़कों के विवाह की ध्यान देने के दृष्टिकोण से आयु समबन्धी कानून का प्रभावशाली ढंग से लागू करना तथा इस कार्यक्रम का सभी स्तरों पर सूचित मानी जाए और अनुरुपत कार्यवाही सुनिश्चित करना।

यदि हमें लोगों के रहन-सहन के स्तर को ऊँचा बनाना है, विकास के कार्यों का अधिक से अधिक लाभ उन तक पहुँचाना है, तो आबादी की वृद्धि के अवसर ही कम करना होगा। इसका एक मात्र उपाय यही है कि लोग स्वच्छ से छोटे परिवार के सिद्धांत को मानने हुये अपने परिवारों को सीमित बनाएं। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कोशिश की जा रही है कि देश के सभी प्रजननशील आयु वर्ग के दमपूर्वक जन्म लेने वाले छोटे परिवार के विश्वास में समझाया जाए, और सेवाएं प्रदान की जाएं। इसके साथ ही मातृ-शिशु सेवाओं का भी विस्तार किया जा रहा है, लुकाने गर्भवती महिलाओं, मातों एवं बच्चों का स्वास्थ्य की ठीक से देखभाल हो सके। परिवार नियोजन कार्यक्रम तथा मातृ-कार्यक्रम सम्बन्धित रूप से चलाया जा रहा है और विशेषकर गाँवों में इसके प्रचार और प्रसार पर अधिक बल दिया जा रहा है। इसमें न केवल सरकारी तन्त्र का भरपूर उपयोग किया जा रहा है बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के जन-जन के सहयोग का भी अधिक से अधिक सहयोग पाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दृष्टि से देश के गाँवों में आयोजित किए जाने वाले प्रथम शिविरों का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण है। इन शिविरों में गाँवों के महत्वपूर्ण पुरुषों और महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है, और उनके स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन की आवश्यकताओं तथा सेवाओं के समबन्ध में आवश्यक जानकारी दी जाती है और अन्ततः तथा प्रचार साहित्य के माध्यम से उनके मन की शंकाओं और ध्यान की दृष्टि को दूर करने का प्रयास किया जाता है।

परिवार नियोजन की सभी सेवाएं मुफ्त प्रदान की जाती हैं, बाहर नसबन्दी या निरोध या ऐसा ही कोई अन्य उपाय हो। ज्यों-ज्यों लोग स्कूल आते हैं इन सेवाओं का लाभ उठायें और अपने परिवारों को सीमित रखने का स्वयं ही निर्णय करेंगे,
त्यों—त्यों आबादी की भर्तकर विभीषणका पर काबू पाना आसान होता जाएगा और
dेशवासियों के जीवन—स्तर में उल्लेखनीय उन्नति लाना सम्भव हो सकेगा। यह सभी
के हित में है और प्रजननशील आयु के प्रत्येक दम्पति को इस तथ्य से विचित्र नहीं
होना चाहिए।

योजना आयोग के अनुसार “भारत जैसी स्थिति में देश में जनसंख्या
की अत्याधिक वृद्धि दर से आर्थिक विकास एवं प्रति व्यक्ति जीवन—स्तर पर निशचय ही
बुरा प्रभाव पड़ता है।” इस कथन के अनुसार भारतवर्ष की तत्कालीन दो समस्याएँ हैं
— पहली बड़ी आबादी और दूसरी गरीबी या भुखमरी।”

भारत में हर साल लगभग 80 लाख व्यक्ति मरते हैं। इनमें से एक तिहाई
स्वच्छ पेयजल न मिलने के कारण, दूसरे एक तिहाई उचित स्वास्थ्य परिस्थितियों के
उपलब्ध न होने के कारण और शेष एक तिहाई पुष्टिकर भोजन और बलवर्धक आहार
न मिलने के कारण मरते हैं। यदि शुद्ध पेयजल, पौष्टिक आहार और स्वास्थ्यप्रद स्थिति
भारत में उपलब्ध हो सके तो 80 लाख भारतीयों को मृत्यु से बचाया जा सकता है।
भारत जैसे अर्थविकसित देशों में 15 साल से कम आयु के बच्चे 33 प्रतिशत हैं जबकि
यूरोप में यह प्रतिशत 20 है। राष्ट्रीय उत्पत्ति का एक बड़ा भाग इसके लालन—पालन
पर ही खर्च हो जाता है। अतः परिवार नियोजन राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी आवश्यक है।

विश्व से सभी देश जनसंख्या वृद्धि की समस्या को स्वीकार करते हैं
लेकिन इस समस्या पर काबू पाने के लिए सबसे पहले भारतवर्ष ने ही सरकारी तौर पर
परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अपनाया है। इसका कारण यह था कि 1920—1970
के बीच जहाँ विकसित देशों की जनसंख्या में 60 प्रतिशत और विकासशील देशों की
जनसंख्या 111 प्रतिशत वृद्धि हुई, वहाँ भारतवर्ष की जनसंख्या में 120 प्रतिशत की वृद्धि
हुई। इस के विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की गति मन्द हो गयी है। अगर
भारतीय जनसंख्या वृद्धि पर नियन्त्रण नहीं किया गया तो अगले चार दशक आर्थिक
विकास की दर को कम करने के लिए निराश तत्त्व होंगे। अतः जीवन—स्तर को
वर्तमान स्तर पर ही बनाये रखने के लिए परिवार नियोजन की आवश्यकता है।
इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार "हमारी अर्थव्यवस्था इस समय उच्च वृद्धि के दौर से गुजर रही है। जनसंख्या वृद्धि में कमी होने से हम इस स्थिति को प्रतिव्यक्ति आया में वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तथा साधनों के लिए शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर सकेंगे।"12 इनके इस वक्तव्य से यह स्पष्ट होता है कि परिवार नियोजन की कितनी आवश्यकता है।

डॉ० चन्द्रशेखर के अनुसार, "भारत में परिवार नियोजन का मुख्य लक्ष्य जनसंख्या की मौजूदा वृद्धि को कम करके 25 प्रति हजार करना है। इसके लिए देश के उन युगलों के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष सहयोग की आवश्यकता होती है, जो पुनरुत्पातन के आयु–वर्ग में आते हैं।"13

वर्तमान सदी के आरम्भ से ही उच्च जीविताधिकार ने भारत की जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को देखते हुए मात्र तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य को उच्च रूप से महत्व देने तथा देश के सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए जनसंख्या रोक के बारे में अपने–अपने विचार व्यक्त किये हैं, सर्वप्रथम भारत में परिवार परिसंपादन के प्रेरणात्मक पहल पी० के बाद ने अपनी पुस्तक "पापुलेशन प्रोब्लम इन इण्डिया" में व्यक्त किये। प्रो० एन० एस० फड़के ने सन् 1923 में, बम्बई में वर्ष कन्स्ट्रक्शन लीग की स्थापना की तथा उसी समय पूर्व में जी० डी० कुलकर्णी ने भी संगठन की स्थापना की। इस दिशा में प्रो० आर० डी० कर्वेन धीरो यथा वित्त प्रभाव के लिए जिन्होंने 1925 में एक परिवार नियोजन वैकल्पिक की स्थापना बम्बई में की।

मेसूर सरकार ने भी सन् 1930 में राजकीय अस्पताल बंगलौर में परिवार वैकल्पिक की स्थापना की परन्तु वैकल्पिक के कार्यों में प्रगति न हो सकी। ऑल इण्डिया विमेन्स काउंसिल, जो 1932 में लखनऊ में सम्पन्न हुई, उसमें भी यह कहा गया कि मान्यता प्राप्त क्लासिकल के माध्यम से पुरुषों तथा स्त्रियों को परिवार नियोजन के तरीकों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। वर्ष 1933 में भारतीय कांग्रेस द्वारा नेशनल फ्लामिंग कमेटी ने भी परिवार नियोजन ज्ञान तथा प्रयोग पर अत्यधिक बल दिया।
तत्पश्चात् सन् 1936 में लखनऊ में सम्पन्न हुई प्रथम भारत जनसंख्या कांफ्रेस तथा 1938 में बम्बई में द्वितीय कांफ्रेस ने भी प्रजनन भिन्नता को अपना मुद्दा बनाया। चार वर्ष पश्चात् 1940 में पी0 एन0 सपू ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें भारत के सभी प्रान्तों में जन्म-निगमण व्यवस्थाके खोले जाने की सिफारिश की। इन सभी प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि भारत सरकार ने जनसंख्या के क्षेत्र में अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया। सन् 1943 में सरकार ने “हैंल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट कमेटी” जिसे “भोर कमेटी” के नाम से जाना जाता है का सज्जन किया। इस कमेटी का मुख्य कार्य भारत की स्वास्थ्य समस्या आवश्यकताएं ज्ञाना तथा जनसंख्या समस्या ऑफिस का संकलन करना था।

सन् 1949 में बम्बई में ‘फामिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इण्डिया’ की स्थापना स्वैच्छिक संस्था के रूप में की गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया जिसका मुख्य उददेश्य देश में उपलब्ध प्रारूपक संसाधनों को आर्थिक विकास के लिए आदर्शतम उपयोग किये जाने के लिए योजना तैयार करना था।

अाज परिवार नियोजन का नाता है माँ की सेहत का मंत्र, बच्चों में हो काफी अन्तर तथा अगला बच्चा अमी नहीं, दो के बाद कभी नहीं।

भारत में परिवार नियोजन सबसे बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम है। जनसंख्या में जिस तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए परिवार नियोजन ही देश के समक्ष एक माफ विकल्प है। भारत में प्रति सेकेंड एक बच्चा उत्पन्न होता है। प्रतिवर्ष भारत की जनसंख्या में आधुनिक बोली के बारबर आबादी जुड़ती जाती है। इसके विपरीत जीवन-स्तर की दृष्टि से भारत की 87 प्रतिशत जनसंख्या की आमदनी जीवन-निर्वाह के स्तर पर है। वर्ष 1960 में 25.5 प्रतिशत परिवारों की औसत दैनिक आमदनी 35 पैसे थी। 23.2 प्रतिशत परिवारों की औसत दैनिक आमदनी 14 पैसे थी। 87 प्रतिशत की औसत दैनिक आमदनी 3 पैसे थी। इस समय देश में 10.6 करोड़ व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार हैं। ऐसी स्थिति में परिवार नियोजन द्वारा ही देश की सामान्य जनता आर्थिक
और सामाजिक विकास की प्रगति से लाभान्वित हो सकती है।

ढाँचा चंद्रशेखर के अनुसार “हम बहुत जल्दी में हैं” आप एक रात्रि की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। पांच मिनट की अवधि में होने वाला विस्फोट एक बच्चे को जन्म देता है और प्रतिवर्ष भारत अपनी जनसंख्या में एक आस्ट्रेलिया जोड़ता है।”

14 परिवार नियोजन जनसंख्या कम करने का केवल एक भौतिक साधन ही नहीं है, बल्कि स्वस्थ समृद्ध समाज की नींव ढालने वाला एक नया दर्शन है। संक्षेप में परिवार नियोजन सामाजिक सुपार्श्वरण का एक उपकरण है।

भारत का ही उदाहरण है, तो परिवार नियोजन की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हो जाएगी। भारत में पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में कुल राष्ट्रीय आय में औसत वार्षिक वृद्धि की दर 3.8 प्रतिशत रही जबकि इसी अवधि में प्रति व्यक्ति आय में 1.25 प्रतिशत के हिसाब से औसत वार्षिक वृद्धि हुई। इसका अर्थ यह हुआ कि कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आधे से भी अधिक भाग को जनसंख्या की वृद्धि ने हड़प लिया।

बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भारत में बेहोशगारी की समस्या और अधिक जटिल हो गई है। विस्फोटक गति से बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी प्रति व्यक्ति आय को अधिकाधिक प्रभावित करती जा रही है।

आज 26.10 प्रतिशत तक जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है। आज चीन जैसे काउंटर मार्क्सवादी देशों ने भी “एक बच्चे” का लक्ष्य बना लिया है। एक बच्चे के ही रहने पर एक कार्ड पर बहुत सी सुविधायें दी जाती हैं। दो बच्चे होने पर दंड मिलने शुरू हो जाते हैं। तीन बच्चों पर इतनी सुविधायें कम हो जाती हैं तथा दंड इतने अधिक हो जाते हैं कि परिवार भूखी ही मरने लगेगा।

ढाँचा चंद्रशेखर –

"We are in great hurry. You Cannot wait for a night. One exposure lasting five minuter leds ta a bady and every year India adds one Australia to its population. Every night is a nightmare until the explosion is checked." 15
स्वतन्त्रता पूर्व नियोजन कार्यक्रम की प्रगति -

भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम बहुत पुराना नहीं है। सन् 1916 में श्री प्यारे किशन वाल्ला ने जनसंख्या वृद्धि और उसके परिणामों का विवरण देते हुए अपनी पुस्तक "The population problems of India" प्रकाशित की। इस पुस्तक में परिवार कल्याण के महत्व पर प्रकाश डाला। सन् 1925 में प्रोफेसर आरो डीकर्ने महाराष्ट्र में संतति निग्रह विकिसालय स्थापित किया। उस समय यह कल्याण भी नहीं की जा सकती थी कि भविष्य में संतति निग्रह का यह प्रयोग राष्ट्रवादी आंदोलन का सूत्रपात करेगा। उसके कुछ समय उपरांत ही मद्रास में नव मात्रावादी संघ की स्थापना की गई। 11 जून 1930 में मैसूर में शासन द्वारा संसार की सर्वप्रथम "वर्ण कंट्रोल कल्याणिक" की स्थापना की गई, जो सरकार के लिए सदैव गोरख का विषय बना रहेगा। सन् 1930 से ही देश के शिक्षित जनमत ने परिवार कल्याण के विवाद का स्वागत किया। सन् 1933 में मद्रास सरकार ने अपनी प्रेसोडेंट में संतति-निग्रह विकिसालय प्रारम्भ किया।

इसी वर्ष 'ऑल इण्डिया वीमेन कांग्रेस' ने, जिसके अध्यक्ष स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू थे, एक "राष्ट्रीय नियोजन समिति" की स्थापना की। इस समिति के परिवार कल्याण कार्यक्रम की आवश्यकता स्वीकार करते हुए, इसे योजना का अभिन्न अंग बना दिया।

"अखिल भारतीय महिला सभा" के विशेष निमंत्रण पर परिवार कल्याण कार्यक्रम की अमेरिकन महिला विशेषज्ञ श्रीमती मार्गरेट सेंगर 1936 में भारतवर्ष आयी। उनका यह कथन था कि "Reproduction is a Privilege not a right" अति अचूक मानव को अपने इस दायित्व को विवेकपूर्ण ढंग से निभाना चाहिए। उन्होंने अपने संतति-निग्रह कार्यक्रम के अनुमोदन के आधार पर परिवार कल्याण को लोकप्रिय बनाने की सलाह दी।

1 सितंबर सन् 1935 को "फैमिली हाइजीन" सम्बन्धी अध्ययन हेतु एक समिति का गठन किया गया। डॉ रोटर पिल्लाई ने जो संतति निग्रह के प्रबल समर्थक थे। सन् 1936 में कई स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की। सन् 1938 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री सुभाषचन्द्र बोस ने अपने अध्यक्षीय भाषण में परिवार कल्याण
कार्यक्रम का समर्थन किया। इसी प्रकार मातृ–सेवा संघ द्वारा 1939 में उज्जैन तथा उत्तर प्रदेश में कुछ क्लीनिक खोले गये।

राष्ट्रीय नियोजन समिति :-

सन् 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति ने जनसंख्या के नियन्त्रण पर विशेष बल दिया। नियोजन समिति ने जो सिफारिश की, वह इस प्रकार थी—

1. देश में परिवार नियोजन क्लीनिक खोले जायें और लोगों को परिवार नियोजन सम्बन्धी सुविधायें सुलभ करायी जायें।

2. मेडिकल कॉलेजों के अन्दर परिवार नियोजन की शिक्षा को पाठ्यक्रम के अन्दर शामिल किया जाना चाहिए।

3. परिवार में बच्चों की संख्या को चार तक समिति रखना चाहिए।

4. पागल, नमों से पीड़ित तथा अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का बन्धुवार्तन करना चाहिए।

5. परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रसार के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना चाहिए।

योजना आयोजन :-

सन् 1949 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग ने आर्थिक, सामाजिक विकास के लिए परिवार नियोजन को अधिक महत्व दिया, साथ ही मृत्युदंड को कम करना भी आवश्यक माना गया। अतः स्वास्थ्य सेवाओं में काफी प्रसार किया गया और परिवार–नियोजन कार्यक्रम को आर्थिक विकास का आवश्यक अंग माना गया।

इससे पूर्व 1931 में ही भारत के Census Commission ने परिवार नियोजन द्वारा जन्म दर को कम करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। 1933 में अखिल भारतीय महिला सभा ने स्त्रियों व पुरुषों में परिवार प्रति जागरूकता लाने पर बल दिया। 1935 में अखिल भारतीय मेडिकल कांफ्रेंस ने परिवार नियोजन सम्बन्धी शिक्षा को डॉक्टरी कोर्स में शामिल करने की सिफारिश की। 1936
में अखिल भारतीय कांग्रेस के हसिना आधिवेशन में नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने कहा
“भारत के दीर्घकालिन कार्यक्रम में प्रथम समस्या जनसंख्या समस्या की ओर ध्यान देना
होगा। हमारे देश में बीमारियां, खुरामी व गरीबी व्यापक है और हर दशक में तीन
करोड़ के हिसाब से जनसंख्या नहीं बढ़ने दे सकते हैं— अन्यथा हमारा समस्त आयोजन
असफल हो जायेगा। इसलिये में जनसंख्या नियंत्रण की ओर सर्वसाधारण को जागरूक
कराना आवश्यक मानूगा।”

1938 में श्री बीरजी खरे ने अखिल भारतीय जनसंख्या व परिवार
हाइज़िन कांग्रेस में उद्घाटन भाषण में कहा है कि “विश्व में शायद ही कोई ऐसा देश
हो, जिसे जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता भारत की भावि हो। भारत की राष्ट्रीय
नियोजन कमेटी ने, जिसके अध्यक्ष श्री जवाहर लाल नेहरू थे, 1938 में जनसंख्या
नियंत्रण पर बहुत जोर दिया।”

सन् 1939 में “रेना साहब” ने उज्जैन में एक मातृ सेवा मंदिर” प्रारम्भ
किया सन् 1940 में श्री पी०एन० सारू “कोसिल ऑफ स्टेट्स” ने बर्ध कन्फ्रेंस व्हिजि
चलाये जाने का प्रस्ताव रखा जो बहुमत से पास हुआ। इसी काल में “फैमिली प्लानिंग
एसोसिएशन लंदन” की ओर से श्रीमति “रेना दल्दा” ने भारत वर्ष का भ्रमण किया। सन्
1940 में बर्ध में “भारतीय समाज संतति निग्रह विकसिता केंद्र” को सम्मिलित करते
हुए “स्टडी एण्ड ग्रोथ प्रोमोशन ऑफ फैमिली हाइज़िन समिति” ने “फैमिली प्लानिंग सोसाइटी”
के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया। सन् 1943 में “हैल्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट कमेटी”
की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष श्री जोसेफ मोर थे। सन् 1946 में इस समिति ने
अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें केवल माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य के दृष्टि
से परिवार कल्याण के अपनायें जाने के समग्र में सुझाव दिये गये। राष्ट्रपति महात्मा
गांधी ने भी भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान में अपने
विचार व्यक्त किये उन्होंने उद्धिष्ठ संतति—निग्रह के कृत्रिम साधनों के प्रयोग का विरोध
किया। तथापि परिवार—कल्याण की आवश्यकता को स्वीकार किया।
सन् 1949 में श्रीमती धनवंती रामाराव की अध्यक्षता में "भारतीय परिवार नियोजन संघ" की स्थापना की गई। भारत में इस दिशा में यह एक अग्रगामी कदम था। सन् 1951 में "योजना आयोग" ने परिवार कल्याण के महत्व को ध्यान में रखकर एक विशेष समिति का गठन किया, इस समिति की अध्यक्ष डा० सुशीला नेहरू थी। इसके सदस्य डा० आर० ए० गोपालास्वामी, डा० ज्ञानचन्द्र एवं डा० ए० सी० बसु थे। इसके अतिरिक्त इसकी महत्वपूर्ण सदस्यता श्रीमती धनवंती रामाराव भी थी, इस समिति ने अध्ययन का जो लेखा-जोखा प्रस्तुत किया, उसमें बड़ी हुई जनसंख्या की समस्या पर गहन विन्दा ब्यक्त करते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम सम्बन्धी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये थे। इसी काल में "फ्लॉंड पेरिंटहूड" के माने हुए अमरीकन विशेषज्ञ "डा० अब्राहम स्टोन" भारत आये और उन्होंने रिदम विधि के आधार पर देश के दिल्ली, मैसूर, पश्चिमी बंगाल आदि राज्यों में पांच केंद्रों की स्थापना की। इन केंद्रों में महिलाओं के लिए रिदम विधि अथवा सुशक्त प्रस्म-काल सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया।

सन् 1953 में पापुलेशन कॉन्सिल के नियंत्रण पर दो और विशेषज्ञ डा० फ्रॅंक डब्लू नोटेस्टीन एवं डा० ल्यूनामार गार्टनर भारतीय जनसंख्या सम्बन्धी समस्या पर सलाह देने शुरू आये। इनके सुझाव पर "परिवार कल्याण अनुसंधान एवं कार्यक्रम समिति" ने यह निर्णय सर्वाधिकता से लिया कि अपने देश में परिवार कल्याण कार्यक्रम तत्काल प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए दो उप-समितियों का भी गठन किया गया। इस समिति ने अपनी पहली बैठक में इस बात पर बल दिया कि "परिवार-कल्याण कार्यक्रम संतति निग्रह अथवा दो बच्चों के जन्म के बीच उचित अन्तर तक ही सीमित न रखा जाय। वास्तव में जहाँ तक समस्या हो सके, समाज में परिवार की इकाई को उचित स्थान प्राप्त होना चाहिए जिससे व्यक्ति को विकास का पूर्ण अवसर मिले, उसकी प्राथमिक अवश्यकताओं की पूर्ति हो और परिवार का प्रत्येक सदस्य स्वस्थ, शिक्षित और समृद्ध बन सके। इन सभी पहलुओं को, ध्यान में रखकर कार्यक्रम की रूपरेखा बनायी जाये।
स्वतंत्रता पश्चात् परिवार नियोजन एवं
सरकारी प्रयत्न एवं उपलब्धियां

प्रथम पंचवर्षीय योजना--:

भारत में राजकीय कार्यक्रम के रूप में परिवार नियोजन कार्यक्रम का आरम्भ सन् 1952 से हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए 65 लाख रुपयों का प्रावधान किया गया और इसे स्वास्थ्य सेवा का अंग माना गया। जनसंख्या के नियंत्रण की दृष्टि से, योजना के अन्तर्गत विशेष कार्य नहीं हुआ। यह अनुमान लगाया गया कि जनता बढ़ती हुई जनसंख्या से उत्पन्न हानियों से परिचित होगी और जनमद धम हो जायेगी। सरकार का यह अनुमान था कि संयोग के आधार पर जनसंख्या की वृद्धि दर कम हो जायेगी। फलस्वरूप काफी महत्वपूर्ण समय इसी उदेश्य से बीत गया।

योजना के अन्तर्गत, सिम्ब बालों के ऊपर विशेष जोर दिया गया।

1. जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के वैज्ञानिक कारणों को ज्ञात करना।

2. प्रजनन सम्बन्धी तथ्यों को ज्ञात करना और उनके नियमन के उपायों का पता लगाना।

3. जन-शिक्षा के प्रचार द्वारा लोगों को परिवार-नियोजन के प्रति जागरूक करना।

4. स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत परिवार-नियोजन परामर्श केंद्रों की सुविधा को सुलभ करना।

5. परिवार नियोजन के उपयुक्त साधनों का प्रचार करना।

6. उन स्थितियों को परिवार नियोजन की सलाह देना जिनका स्वास्थ्य अधिक सन्तानोपत्यादन के कारण खराब है।

7. देश के विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों के अन्तर्गत पुनरुत्पादन के प्रति लोगों की मनोवृत्ति का अध्ययन करना।
उपयुक्त लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुए 1953 में परिवार नियोजन शीघ्र और कार्यक्रम समिति और 1954 में “परिवार नियोजन अनुदान आयोग” की स्थापना की गयी। नगरीय क्षेत्रों में 126 और ग्रामीण क्षेत्रों में 21 परिवार नियोजन केंद्र खोले गये। इसके अतिरिक्त जन्म नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न विधियों की उपयोगिता को ज्ञात करने के लिए कुछ अग्रगामी परियोजनाओं को आरम्भ किया गया। योजना के अन्तर्गत यद्यपि 65 लाख रुपये का प्रावधान किया गया था। किन्तु इस धनराशि का भी उपयोग नहीं किया जा सका इसमें केवल 14.51 लाख रुपये का उपयोग हो पाया। यह धनराशि भी केवल केंद्र द्वारा व्यय की गई। राज्य सरकारों ने इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं ली। 205 निजी क्षेत्रों द्वारा संचालित केंद्रों को सहायता दी गई। इन केंद्रों में Rhythmic method तथा उपकरणों का प्रयोग करने की सलाह दी जाती थी।

द्वितीय پंचवर्षीय योजना --:

इस योजना में परिवार नियोजन के प्रति कुछ जागरूक नीति अपनाई गई। आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए परिवार नियोजन को आवश्यक माना गया। अत: द्वितीय योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित बातों का समावेश किया गया—

1. परिवार नियोजन सम्बन्धी परामर्श और सुविधा का प्रसार करना।

2. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था में प्रसार करना।

3. पुनरुत्थादन सम्बन्धी जीविका और स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यों का अध्ययन करना।

4. परिवार नियोजन तथा यौन सम्बन्धी शिक्षा का प्रसार करना।

5. प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या वाले नगरों में कम से कम एक परिवार नियोजन केंद्र की स्थापना करना।

6. केंद्रीय समिति द्वारा अनुदान प्राप्त संस्थाओं का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में परिवार—नियोजन के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। योजना के अन्तर्गत 1956 में एक परिवार नियोजन बोर्ड की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रसार, प्रचार, समन्वय
और प्रगति का मूल्यांकन करना है। इसके अतिरिक्त केंद्र में एक परिवार नियोजन निवेशक की नियुक्ति की गई। कुछ राज्यों के अन्तर्गत परिवार नियोजन अधिकारियों की नियुक्ति की गई। योजना काल में नगरीय क्षेत्रों के अन्दर परिवार नियोजन केंद्रों की संख्या 549 हो गई। इसके विशेष ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार नियोजन केंद्रों की संख्या 1100 हो गई। इसके अतिरिक्त 1864 ग्रामीण और 300 नगरीय स्वास्थ्य केंद्रों में परिवार नियोजन की सुविधाओं को सुलभ किया गया। दूसरी योजना के अंत तक प्रति 10 लाख जनसंख्या के लिए 3.8 क्लीनिक उपलब्ध थे इस योजना में परिवार नियोजन के लिए यद्यपि 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। किन्तु इस पूरी धनराशि का उपयोग नहीं हो सका, केवल 43.4 प्रतिशत का ही उपयोग हो पाया।
कलक्तिता के All India Institute of Hygiene and public health contraceptive testing unit Bombay, में परिवार नियोजन सम्बन्धी अनुसंधान शुरू कर दिये गये थे। प्रशिक्षण का कार्य भी वृहद् रूप में शुरू कर दिया गया था। दिल्ली में लोडी कालोनी तथा नजफगढ़ में, कलक्तिता के पास सिंगुर में, मैसूर में तथा लुधियाना में सर्वेक्षण कार्य किये गये।

तृतीय पंचवर्षीय योजना -:?

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम का सर्वाधिक प्रसार वस्तुतः 1961 के बाद आरंभ हुआ। इसके पूर्व की दो योजनाओं में इस कार्यक्रम में विशेष प्रगति नहीं हुई। साथ ही विभिन्न समुदायों में परिवार नियोजन के निर्माण अभिवृद्धि भी नहीं थी और अनेक समुदायों के नेता राजनीतिक आधार पर कार्यक्रम का विशेष ध्यान करते थे। जनसंख्या का वृद्धि दर को देखते हुए योजना आयोग ने परिवार नियोजन को राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम का अभिन्न अंग स्वीकार किया। परिवार नियोजन के लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और परिवार नियोजन को एक राष्ट्रीय प्रारंभिक कार्यक्रम का रूप दिया गया। योजना के अन्तर्गत निम्न बातों को प्राथमिकता दी गई —
1. शिक्षा के प्रसार द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए अनुकूल सामाजिक वातावरण को तैयार करना।

2. जनसंख्या की सेवाओं के साथ-साथ परिवार नियोजन की सुविधाओं को सुलभ करना और कार्यक्रमों को क्रियाविद्ध करना।

3. गर्भ-नियन्त्रण के साधनों का वितरण करना और लोगों को उनके उपयोग की विधि से परिचित करना।

4. मेडिकल कालेजों तथा अन्य शिक्षण संस्थाओं में परिवार नियोजन के प्रशिक्षण की सुविधाओं प्रदान करना।

5. परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए स्थानीय नेताओं तथा अन्य सेवा संस्थाओं के सहयोग को प्राप्त करना।

6. परिवार नियोजन सम्बन्धी आवश्यक सामग्री के उत्पादन में वृद्धि करना।

7. स्त्री शिक्षा प्रसार करना और विलय से विवाह को प्रोत्साहित करना।

उपरूप्क विचार कार्यक्रमों के लिए तीव्र योजना के अन्दर प्रारम्भ में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, किन्तु बाद में इसे घटाकर 27 करोड़ रुपये कर दिया गया।

तीर्थयोजना काल के अन्तर्गत राज्य स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम खोले गये। योजना काल के अन्त तक 3676 ग्रामीण परिवार नियोजन केंद्र, 7081 ग्रामीण उपकेन्द्र और 1381 नगरीय परिवार नियोजन केंद्र स्थापित किए जा चुके थे।

चतुर्थं वंचवर्षीय योजना --:

चतुर्थं वंचवर्षीय योजना (वार्षिक योजनाओं) के अन्तर्गत परिवार नियोजन कार्यक्रम का व्यापक प्रसार हुआ। इस योजना में परिवार नियोजन के लिए 330 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। योजना के अन्तर्गत मीमंड्डुलाजन दर को 39 प्रतिल घटाकर से घटाकर 32 प्रतिल हजार करने का कोशिश रखा गया है। योजना के मुख्य कार्यक्रम निम्न प्रकार थे--
1. परिवार नियोजन के प्रचार के लिए सभी साधनों का उपयोग करना।

2. ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनन-निरोध के लिए ऑपरेशन की सूचियां सुलभ करना।

3. जिन स्त्रियों के लिए जनन नियन्त्रण के उपकरण, उपयुक्त नहीं हैं, उनके लिए खाने की गोलियों की व्यवस्था करना।

4. पुनरुत्पादन आयु के युगलों को परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना।

5. पुनरुत्पादन काल में प्रवेश करने वाले युवकों और युवतियों को विवाह से विवाह के लिए प्रोत्साहित करना।

चतुर्थ योजना में “हम दो हमारे दो” को सरकारी रूप में नया नारा स्वीकार किया गया। गर्भपात कराने का 1971 का कालू एक अप्रैल, 1972 से लगू हो गया। माँ बाप की बीमारी के दौरान जिसमें माँ बच्चे को स्वास्थ्य से खतरा हो उसमें तथा जिसमें माँ के वातावरण स्वास्थ्य को खतरा हो, उन परिस्थितियों में गर्भपात कराना जा सकता है, अन्तिम सुविधा वास्तव में खुली स्वतन्त्रता देती है। योजनाकाल में 280 करोड़ रुपये व्यय किए गए।

पांचवी पंचवर्षिक योजना --:

पांचवी योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये प्रयास करना है ताकि 1980 ईसवीं तक राष्ट्रीय जनन दर को 25 प्रति हजार तक घटाया जा सके। पांचवी योजना में परिवार नियोजन सम्बन्धी लक्ष्य इस प्रकार थे --

1. मौजूदा जन्मदर को योजना के अन्त तक 30 प्रतिहार और 1983-84 तक 25 प्रतिहार बढ़ाना।

2. परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस समय 15 मिलियन दम्पतियों संख्या है, योजना के अन्त तक इस संख्या को बढ़ा कर 19 मिलियन तक करना।

3. पांचवी योजना के दौरान विभिन्न तरीकों के लिए मिलाइयों लक्ष्यों की प्राप्ति की सम्भावना है।
4. नसबन्दी – 18.0 मिलियन इन्टायूरीन डिवाइस – 5.9 मिलियन सी0सी0 संस्थागत करने वाले 8.8 मिलियन।

पंचवी योजना में परिवार नियोजन को बहुत महत्व दिया गया। प्रत्यक्ष रूप से ही 500 करोड़ तथा अन्य कार्यक्रमों का अनुदान मिलाकर लगभग 600 करोड़ रुपये के लगभग व्यय होने का अनुमान है। इस योजना में भारत की जनन्दर को 30 प्रति हजार लाने का लक्ष्य रखा गया ताकि योजना काल के बाद जनसंख्या 1.7 प्रतिशत वार्षिक से अधिक न बढ़े और छठी योजना तक 1.4 वार्षिक से अधिक न बढ़े।

छठी पंचवर्षीय योजना –:

छठी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम को समन्वित रूप में सम्पन्न किया गया है। इस कार्यक्रम हेतु 1010 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नियोजन अवधि में सुरक्षित दम्पतियों की संख्या को 22.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 36.6 प्रतिशत करने का लक्ष्य है। इस योजना में 40 प्रतिशत लोगों को परिवार नियोजन से सुरक्षित कराने का विचार था। स्वास्थ्य, पोषण व परिवार नियोजन कार्यक्रमों में समन्वय लाया गया। इस योजना में भारत की गरीबी के लिए जनसंख्या वृद्धि को मुख्य रूप से जिम्मेदार माना।

सातवी योजना में परिवार नियोजन –:

सातवी योजना ने सन् 2000 के लिए शुद्ध पुनर्जनन दर को घटाकर इकाई कर देने का लक्ष्य रखा है। सन् 1990 के लिए सातवी योजना के लिए इस प्रकार लक्ष्य रखे गये –

| अशोधित जन्म दर | 29.1 प्रति हजार |
| अशोधित मृत्यु दर | 10.4 प्रति हजार |
| शिशु मृत्यु दर | 90 प्रति हजार |
| प्रभावी दम्पति दर | 41 प्रति हजार प्रतिशत |

सभी शिशुओं के लिए टीकों की व्यवस्था
विभिन्न राज्यों की परिवार नियोजन की स्थिति भिन्न-भिन्न है तालिका

6.1 में स्पष्ट है –

तालिका 6.9

परिवार नियोजन की वास्तविकताओं के लिए राज्यों का विभाजन

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आंध्र प्रदेश</td>
<td>असम</td>
<td>हिमाचल प्रदेश</td>
<td>बिहार बंगाल</td>
</tr>
<tr>
<td>गुजरात</td>
<td>कर्नाटक</td>
<td>उड़ीसा</td>
<td>बिहार जम्मू एवं कश्मीर</td>
</tr>
<tr>
<td>हरियाणा</td>
<td>मध्य प्रदेश</td>
<td>जम्मू एवं कश्मीर</td>
<td>राजस्थान</td>
</tr>
<tr>
<td>हिमाचल प्रदेश</td>
<td>उड़ीसा</td>
<td>जम्मू एवं कश्मीर</td>
<td>उत्तर प्रदेश</td>
</tr>
<tr>
<td>कर्नाटक</td>
<td>पश्चिम बंगाल</td>
<td>मणिपुर</td>
<td>मेघालय</td>
</tr>
<tr>
<td>महाराष्ट्र</td>
<td>अण्डमान एवं निकोबार</td>
<td>नागालैंड</td>
<td>सिक्किम</td>
</tr>
<tr>
<td>पंजाब</td>
<td>राजस्थान</td>
<td>नेपाल</td>
<td>नेपाल</td>
</tr>
<tr>
<td>तमिलनाडु</td>
<td>दादरा एवं नगर हैदराबाद</td>
<td>अरुणाचल प्रदेश</td>
<td>अरुणाचल प्रदेश</td>
</tr>
<tr>
<td>चंडीगढ़</td>
<td>नगर हैदराबाद</td>
<td>अरुणाचल प्रदेश</td>
<td>लक्ष्य रेखा</td>
</tr>
<tr>
<td>दिल्ली</td>
<td>गोवा दमन दीप</td>
<td>लक्ष्य रेखा</td>
<td>लक्ष्य रेखा</td>
</tr>
<tr>
<td>पाण्डुचरी</td>
<td>मिजोरम</td>
<td>लक्ष्य रेखा</td>
<td>लक्ष्य रेखा</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्रोत – जीवन चंद्र पंत: ज्ञानकौशल, पृष्ठ 587

वास्तविकताओं को मध्य नजर रखते हुये राज्यों को अलग–अलग स्थिति में विभाजित किया गया है कि जिस वर्ष में वह राज्य अपनी शुद्ध पुनर्जीवन करके वास्तविकता तक पहुंचा। सातवीं योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिवार नियोजन के सम्बन्ध में वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया। प्रत्येक वर्ष के लिए जो लक्ष्य रखे गये हैं वे तालिका 6.2 में दिये गये हैं –


### तालिका 6.२

परिवार नियोजन को अपनाने वाले व्यक्तियों की संख्या

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्षधर्म</th>
<th>बन्धकरण</th>
<th>नूतन/शोध तथा</th>
<th>योजनाएं/सरकार</th>
<th>कुल खर्च का प्रतिशत</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1985–86</td>
<td>55.0</td>
<td>32.5</td>
<td>105</td>
<td>32</td>
</tr>
<tr>
<td>1986–87</td>
<td>60.0</td>
<td>37.5</td>
<td>115</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1987–88</td>
<td>62.5</td>
<td>42.5</td>
<td>125</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1988–89</td>
<td>65.0</td>
<td>47.5</td>
<td>135</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1989–90</td>
<td>67.5</td>
<td>52.5</td>
<td>145</td>
<td>42</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्रोत — जीवन चंद्र पन्ना, जनांकिकी, पृष्ठ 587

आठवीं पंचवर्षीय योजना और परिवार कल्याण कार्यक्रम —:

राष्ट्रीय विकास परिषद को दिसंबर 1991 में प्रस्तुत किए गए योजना आयोग के प्रलेख "जनसंख्या नियन्त्रण—चुनौतियाँ और रणनीतियाँ" में स्पष्टतया कहा गया कि "जनसंख्या विस्फोट जिसने देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास समबन्धी सभी प्रयासों को नष्ट कर दिया है सम्भवतया देश के समुख सबसे बड़ी समस्या है।

जनगणना 1991 में यद्यपि जनसंख्या की वृद्धि दर 1971–81 के दशक में 2.22 प्रतिशत से थोड़ी घटकर 1981–91 में 2.1 प्रतिशत रह गयी है, तथापि यह वृद्धि—दर अभी भी काफी ऊँची है। इस रफ्तार के रहते हुए देश की जनसंख्या 21वीं शताब्दी के सूर्योदय अर्थात् 2001 तक 100 करोड़ और तन् 2024 तक 170 करोड़ हो जायेगी। भरसक प्रयासों के बावजूद जनसंख्या के इस अथाह समुद्र का भरण—पोषण सम्मान नहीं हो पायेगा। अतः यदि आबादी की इस रफ्तार को रोका नहीं गया तो देश के करोड़ों लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय दिलाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए आठवीं योजना में जनसंख्या के नियन्त्रण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी।
आठवी योजना के लक्ष्य -:

आठवी योजना में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण सम्बन्धी लक्ष्य इस प्रकार है -:

1. योजना के अन्त में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर को घटाकर 1.78 प्रतिशत करना।

2. जननदर प्रतिहजार 27.8 तथा मृत्युदर 9.2 रह जायेगी।

3. औसत जीवन प्रत्याशी पुरुषों के लिए 61 वर्ष और न्युजियों के लिए 62 वर्ष अनुमानित है।

4. सामाजिक दामोदर प्रजनन दर प्रति हजार 157.5 रह जायेगी।

5. योजना के अन्त में जनसंख्या 941.4 मिलियन होने का अनुमान है।

परिवार कल्याण हेतु आठवी योजना में नई कार्य नीति -:

जनसंख्या नियंत्रण को आठवी योजना के चौथे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक प्रमुख उद्देश्य स्वीकार किया गया है। इसका लक्ष्य जन्म दर को जो 1990 में 29.9 प्रति हजार थी घटाकर 26 प्रति हजार और शिशु मृत्यु दर को 80 प्रति हजार से घटाकर 70 प्रति हजार तक लाना है। फरवरी 1992 में गठित राष्ट्रीय विकास परिषद की एक समिति की रिपोर्ट के आधार पर आठवी योजना के दौरान परिवार कल्याण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित रणनीति अपनायी जायेगी -

क. इन कार्यों को एक साथ पूर्णता और समान्तरता करना।

ख. इनके लिए आवश्यक अतिरिक्त धन की व्यस्था करना।

ग. विभिन्न स्तरों पर इन कार्यक्रमों का आयोजन, क्रियान्वयन और निगरानी हेतु समुचित भरोसेमंद या तन्त्र का विकास करना।

1. विभिन्न सामाजिक सेवा क्षेत्रों जैसे मानव संसाधन विकास, मानव कल्याण पोषण आदि द्वारा उपलब्ध सेवाओं का एक साथ समन्वय करना।

2. परिवार कल्याण कार्यक्रम को एक जन-आन्दोलन का रूप देना। पंचायत राज
प्रणाली के माध्यम से लोगों को अधिक भागीदारी होने पर यह कार्यक्रम "लोगों
द्वारा पहल और सरकारी सहयोग" का रूप ले लेगा।

3. विक्रेत्रीकृत आयोजन और कार्यक्षेत्र, आठवीं योजना के दौरान इसकी रणनीति
का तीसरा अंग होगा। इसके लिए क्षेत्र विशेष कार्यनीति तैयार की जायेगी।
जिसके लक्ष्यों का निर्धारण व उसकी निगरानी, जिला स्तर पर की जायेगी और
यह प्रक्रिया नीचे से ऊपर तक होगी। देश के उन 90 जिलों, जिनकी अशोधित
जननदर 39 प्रति हजार से अधिक है के लिए एक अलग कार्यनीति तैयार की
जायेगी।

4. विक्रेत्रीकृत योजना के फलस्वरूप ग्राम पंचायतों तथा जिला परिषदें अब
कार्यक्रम के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी, जबकि केंद्र सरकार की
भूमिका केवल नीति निर्धारण और मार्ग दर्शन तक सीमित रहेगी।

5. यद्यपि जन्म नियन्त्रण की टर्मिनल प्रणाली लागू रहेगी, किन्तु साथ ही छोटी
आयु वाले दम्पतियों को सक्रिय होने से रोकने और दो बच्चों के बीच के अन्तर
पर अनिवार्य बल दिया जायेगा। फलतः अगली पीढ़ी को सामाजिक उत्तरदायित्व
के रूप में छोटा परिवार स्वीकारने के लिए तैयार रहना होगा।

6. जनसंख्या शिक्षा और पारिवारिक जीवन शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग
बनाया जायेगा, जिससे स्कूल के अध्यापकों को एक महत्वपूर्ण भूमिका का
निर्वाह करना होगा।

7. दम्पति संस्करण दर की वर्तमान पद्धति के बजाय, अब जननदर में लक्षित कर्मी
को कार्यक्रम का आधार माना जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक सभी पैसामात्र
जैसे पात्र दम्पतियों की पहचान, सिविल पंजीकरण, बच्चों व माताओं का
पंजीकरण आदि राज्य सरकारों द्वारा तैयार किये जायेगे, हालांकि व्यापक मार्ग
दर्शन केंद्र सरकार का ही बना रहेगा।

8. परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ उसे देश
के हर कचे और हर परिवार तक पहुँचना होगा। इसके लिए निम्न कार्य करने होंगे —

क. उपकेंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सी.एच.सी. के लिए आधारिक संरचना सुविधाओं को पूरा करना।

ख. सुप्रभावित कर्मचारियों की नियुक्ति करना और

ग. आवश्यक पाप अथवा आवश्यक वस्तुओं की समुचित व्यवस्था करना।

9. शिशु जीवन और सुरक्षित मातृत्व सम्बंधी कार्य को प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय किए जायेंगे —

क. व्यापक प्रतिक्रियासंबंधी कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना।

ख. अतिसार नियन्त्रण तथा ओर आरो 100 कर्मचारियों पर अधिक बल देना।

ग. सुरक्षित मातृत्व हेतु उच्च जोखिम गर्भवती उपायों को लागू करना।

10. कोई भी प्रणाली तभी कारगर हो सकती है यदि उसको लागू करने वाले लोग सक्षम हो। इसलिए सभी प्रकार के कर्मचारियों के उचित शिक्षण एवं प्रशिक्षण पर अधिक बल दिया जायेगा।

11. जनसंख्या जैसे जन-आन्दोलन में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका निर्णायक सिद्ध हो सकती है। इसलिए अादीय योजना में मानव कल्याण से जुड़े ऐसे स्वैच्छिक संगठनों (विशेष रूप से संगठित निगम क्षेत्र) को आमंत्रित और गतिशील किया जायेगा और नेटवर्क के रूप में एक शीर्ष संगठन स्थापित किया जायेगा।

12. जनसंख्या नियमित कार्यक्रम में चिकित्सक की सभी प्रणालियों के प्रयोग और उनसे समबद्ध चिकित्सकों की व्यापक भागीदारी को बढ़ावा दिया जायेगा।

13. अब तक लागू नगद प्रोत्साहन की स्कीम कारगर सिद्ध नहीं हुई इसलिए इसे समाप्त कर दिया है। परिवार नियोजन अपनाने वाले लोगों को किसी भी प्रकार की मौद्रिक हानि की क्षतिपूर्ति राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दी गयी है। परिवार नियोजन को न अपनाने वाले व्यक्तियों को किस प्रकार अनुत्साहित
किया जा सकता है, मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इसकी समस्याओं का पता लगाया जायेगा।

14. परिवार नियोजन कार्यक्रम में समुदाय को शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किये जायेंगे। पंचायतें, यूथ क्लब, ग्राम समितियाँ, नेहरू युवक केंद्र, महिला संगठन इत्यादि समाज व समुदाय को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

15. परिवार नियोजन के संदेश को देश के हर कोने में पहुँचाने के लिए जन सम्पर्क साधनों का हर संभव प्रयोग किया जायेगा। शिक्षा, सूचना व प्रसारण व्यवस्था जिसका योगदान अति महत्वपूर्ण है, का विस्तार किया जायेगा।

नीवी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन --:

आठवीं योजना की प्रगति संतोषजनक है। इसके दौरान रक्ष जनमद 1996 में 27.4 प्रति हजार हो गयी और शिशु मृत्युदर 1996 में 72 प्रति हजार हो गयी। इसके अतिरिक्त दरम्यान नुक्सान दर मार्च 1997 तक 45.4 प्रतिशत के स्तर पर धुंध गयी।

नीवी योजना (1997–2002) में जनसंख्या वृद्धि में योगदान के लिए तीन कारण तत्त्वों को उल्लेखनीय माना है –

1. प्रजनन आयुर्वेद की जनसंख्या का आकार बहुत बढ़ा है और इसका जनसंख्या की वृद्धि में योगदान 60 प्रतिशत आंका गया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जहाँ 15–44 आयु वर्ग में विवाहित स्त्रियाँ की 1961 में 788 लाख थी, वर्तमान में इस संख्या के 1,442 लाख हो जाने का अनुमान है।

2. गर्भ निरोधकों की आवश्यकता की पूर्ति न हो सकने के परिणामस्वरूप, जनसंख्या की वृद्धि में 20 प्रतिशत योगदान का अनुमान लगाया गया।

3. उच्च शिशु मृत्युदर के परिणामस्वरूप उच्च अनिष्ट्ट प्रजनन दर हो जाने से जनसंख्या में 20 प्रतिशत योगदान का अनुमान है।
### सन् 2002 तक प्रत्याशित उपलब्धियाँ

<table>
<thead>
<tr>
<th>लक्ष्य</th>
<th>लक्ष्य</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>शिशु मृत्यु दर</td>
<td>56—50</td>
</tr>
<tr>
<td>रूख मृत्यु दर</td>
<td>24—23</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल प्रजनन दर</td>
<td>2.9 — 2.6</td>
</tr>
<tr>
<td>गर्म निरोध सुरक्षा दर</td>
<td>51—60</td>
</tr>
</tbody>
</table>

स्रोत – भारतीय अर्थव्यवस्था 2002 पृष्ठ, 71।

नीवी योजना में परिवार कल्याण के लिए 15,120 करोड़ रुपया का प्राप्ति किया गया।

योजना के अन्तर्गत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल में वृद्धि के फलस्वरूप सन् 2002 तक शिशु मृत्युदर की निम्न सीमा अर्थात् 50 प्रतिहार, रूख जननदर 23 प्रतिहार और सकल जनन दर 2.6 प्रतिहार करने का लक्ष्य रखा गया।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल किए गए हैं –

1. मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल को प्रभावी बनाकर सुरक्षित मातृत्व और बाल जीवन–शेष का आश्वासन देना।
2. अनिवश्व गर्मिधार रोकने के लिए गर्मिनियोधकों की अधिक मात्रा में उपलब्धि।
3. अनिवश्व गर्मिधार को सुरक्षित रूप में समाप्त करने के लिए कानूनी गर्मिपात सुनिश्चित उपलब्ध कराना।
4. कमजोर वर्गों के लिए प्रभावी पोषण सेवाएं उपलब्ध कराना।
5. यौन–सम्बन्धी संरक्षानुसार रोगों और सिंचाई के गुप्त रोगों का उपचार करना।

इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्यक्रम चलाये गये जो निम्न प्रकार हैं—

1. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान इन चार राज्यों में शिशु मृत्यु दर और
प्रजनन दर में कमी लाने के लिए विशेष प्रयास करना।

2. नौवीं योजना में एक कमेटी का गठन किया गया जो इस बात का ध्यान रखेगी कि धन का उचित उपयोग हो और परिवार कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

3. परिवार कल्याण के कार्यक्रम के लिए निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना।

4. उद्योग, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, कृषकों तथा श्रमिकों को इसमें भागीदारी करना।

5. आठवीं योजना में असम, बिहार में शिशु मृत्युदर और कुल प्रजनन दर में कम हुआ है उनके कारणों की खोज करना और तत्काल उन कारणों को समाप्त करना।

6. नौवीं योजना में अंतर राज्य और अंतर मिलों में जो अंतर हैं उन्हें समाप्त करने के लिए प्रयास करना।

नौवीं योजना में परिवार कल्याण के लिए 15,120 करोड़ रुपये व्यय करने का प्रावधान किया गया। जिसमें वास्तविक व्यय 14,588.97 करोड़ रुपये किया गया। वर्षीय वार्षिक योजना 2001–02 में 4,210 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। नौवीं योजना के कुल योजना परिवहन का 1.7 प्रतिशत व्यय करने का आवंटन था।

दसवीं पंचवर्षिक योजना में परिवार विभाग –:

नौवीं योजना की प्रगति संतोषजनक रही। “राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग” के अनुसार अशोकित जन्म दर 1999 में 26 प्रतिहजार बढ़ 2002 में 25 प्रतिहजार हो गयी, अशोकित मृत्युदर जो 1999 में 8.7 प्रतिहजार बढ़ 2002 में 8.1 प्रतिहजार और शिशु मृत्यु दर 1999 में 70 प्रतिहजार बढ़ 2002 में 64 प्रतिहजार के स्तर पर पहुँच गयी।
दसवीं योजना में 2010 तक की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दसवीं योजना के लिए लक्ष्य इस प्रकार रखे गये—

<table>
<thead>
<tr>
<th>वर्तमान में</th>
<th>2002–07</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>दम्पति सुखा दर</td>
<td>35.5 प्रतिहजार</td>
</tr>
<tr>
<td>अशोयित जन्म दर</td>
<td>25.8 प्रतिहजार</td>
</tr>
<tr>
<td>शिशु मृत्यु दर</td>
<td>68.0 प्रतिहजार</td>
</tr>
<tr>
<td>कुल पुनरुत्थादन</td>
<td>3.2 प्रतिहजार</td>
</tr>
<tr>
<td>सुरक्षित प्रसव दर</td>
<td>42.3 प्रतिहजार</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं—

1. विशिष्ट गर्म निरोधकों को उपलब्ध कराना जिससे अवांछित गर्भाधान को रोका जा सके।

2. परिवार कल्याण के लिए मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य अच्छे रहे इसके लिए सोपानिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम चलाना।

3. शिशु मृत्युदर को कम करने के लिए साधन स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराना जिससे ठीक प्रजनन क्षमता को कम किया जा सके।

4. परिवार के स्वास्थ्य के लिए महिलाओं में जागरूकता लाना इसमें पुरुषों को भी भागीदार बनाना।

5. दम्पति की सुविधा और पसंद के अनुसार परिवार नियोजन हेतु साधन उपलब्ध कराना।

6. परिवार कल्याण सम्बन्धी सेवाओं को उच्च स्तरीय बनाना और आवश्यक क्षेत्रों में उपलब्ध कराना।

7. जन्मदर को कम करने के लिये शिशु मृत्युदर और मातृ मृत्युदर को कम करना और गर्म निरोधकों को सुविधाजनक तरीके से तत्काल उपलब्ध कराना।
8. 2045 तक जनसंख्या वृद्धि दर को स्थिर करना।

9. दसवीं योजना के मुख्य उद्देश्यों में पुनरुत्पादकता को कम करना तथा मृत्युदर और जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिये निम्न लक्ष्य रखे गए –
   i. शिशु मृत्युदर को 2007 तक 45 प्रतिहार और 2012 तक 28 प्रतिहार तक लाना।
   ii. मातृ मृत्युदर को 2007 तक 2 प्रतिहार और 2012 तक 1 प्रतिहार तक लाना।
   iii. 2001–2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर को कम करके 16.2 तक लाना।

परिवार कल्याण योजनाओं द्वारा 5 दशकों से ही सरकारी संस्थाओं द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य एवं गर्भ निरोधकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे भी इन योजनाओं को सफल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में गर्भ उपलब्ध कराना तथा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना।

सरकारी प्रयासों के अतिरिक्त संगठित क्षेत्र एवं स्वयं सेवी संस्थाओं को भी परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा दम्पतियों को परिवार नियोजन के साधनों के प्रयोग को अपनाने हेतु मोटिवेश करना जिससे पुनरुत्पादन आयु वर्ग में जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके।

दसवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण के लिए 27,125 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसका वितरण निम्नलिखित मद्दत पर किया गया जिसका विवरण तालिका 6.3 में निम्न प्रकार से है –
### तालिका ६.३

<table>
<thead>
<tr>
<th>विभाग</th>
<th>व्यय राशि</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>आधारभूत संरचना की व्यवस्था में</td>
<td>12645.64</td>
</tr>
<tr>
<td>आधारभूत संरचना के विकास में</td>
<td>2412.00</td>
</tr>
<tr>
<td>यातायात में</td>
<td>378.00</td>
</tr>
<tr>
<td>प्रशिक्षण में</td>
<td>521.00</td>
</tr>
<tr>
<td>शोध में</td>
<td>159.50</td>
</tr>
<tr>
<td>निरोधक उपाय</td>
<td>2727.50</td>
</tr>
<tr>
<td>पुनरुत्पादन एवं बच्चों के स्वास्थ्य</td>
<td>6333.86</td>
</tr>
<tr>
<td>अन्य परिवार कल्याण कार्यक्रम</td>
<td>1947.50</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>कुल व्यय</strong></td>
<td><strong>27,125.00</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

**सौर्स**— *Tenth five year plain Vol II Page 215*

दसवीं योजना के कुल सार्वजनिक व्यय 15,92,300 करोड़ के सापेक्ष परिवार कल्याण कार्यक्रम पर कुल 27,125 करोड़ व्यय का प्रावधान किया गया जो कुल दसवीं योजना के परिवय का 1.7 भाग है।

सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन एवं कल्याण कार्यक्रम चलाया है। विभिन्न योजनाओं में इस पर व्यय की राशि तालिका 6.4 में दी गयी है।

### तालिका ६.४

<table>
<thead>
<tr>
<th>योजना</th>
<th>निर्धारित राशि</th>
<th>वास्तविक व्यय</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>प्रथम योजना 1951—1956</td>
<td>0.65</td>
<td>0.14</td>
</tr>
<tr>
<td>द्वितीय योजना 1956—1961</td>
<td>4.97</td>
<td>2.20</td>
</tr>
<tr>
<td>तृतीय योजना 1961—1966</td>
<td>27.00</td>
<td>25.00</td>
</tr>
<tr>
<td>चतुर्थ योजना 1969—1974</td>
<td>315.00</td>
<td>278.00</td>
</tr>
<tr>
<td>पंचम योजना 1975—1979</td>
<td>497.00</td>
<td>492.00</td>
</tr>
<tr>
<td>छठी योजना 1980—1985</td>
<td>1078.00</td>
<td>1448.00</td>
</tr>
<tr>
<td>सातवीं योजना 1985—1990</td>
<td>3256.30</td>
<td>3120.80</td>
</tr>
<tr>
<td>आठवीं योजना 1992—1997</td>
<td>6500.00</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>नौवीं योजना 1997—2002</td>
<td>15120.00</td>
<td>14588.97</td>
</tr>
<tr>
<td>दसवीं योजना 2002—2007</td>
<td>27125.00</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**स्रोत**—*आर्थिक सर्वेक्षण 2002*
उपर्युक्त तालिका 6.4 से स्पष्ट है कि योजनाओं में परिवार नियोजन के लिए निर्धारित राशि का वास्तव में पूरा उपभोग नहीं किया गया है। योजना के प्रथम दस वर्षों में वास्तविक लाभ की राशि बहुत काम रही है। लेकिन सरकार ने तीसरी योजना के आरम्भ में परिवार नियोजन के कार्यक्रम को अधिक गम्भीरता से लागू करना शुरु किया।

सरकारी प्रयात्त एवं उपलब्धियाँ—:

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशन में आज भारत में लगभग 7510 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चार्जरत है। इन्हीं स्वास्थ्य केन्द्रों की 59590 उपशाखायें ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर रही है। साठ हजार जन स्वास्थ्य सेवक ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य में संलग्न है। नगरीय क्षेत्रों में लगभग 3000 परिवार नियोजन केन्द्र परिवार नियोजन शिक्षा में अपनी सेवा दे रहे हैं।

सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के कार्यक्रमों में संलग्न डॉक्टरों व नर्सों के शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। इनकी केंद्रीय शिक्षण संस्थान में एवं कुछ पीईएचएसी के केन्द्रों में परिवार नियोजन से सम्बन्धित शिक्षण दिया गया है। सामाजिक शिक्षण एवं उन प्रविष्टियों का विकास किया गया है। जो परिवार नियोजन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करें। 'लघु परिवार' के आदर्श को व्यक्ति अपनाने के लिए इच्छुक बने, इसके लिए प्रचार योजना, उद्वेद संस्थाओं का ज्ञान इन ड्रिंकिंग केन्द्रों में स्वास्थ्य व परिवार नियोजन कार्यक्रमों को कराया जाता है।

भारत में जनानकी शोध एवं गप्तगोष्टियों का कार्य भी अधिकाधिक मात्रा में किए जा रहे हैं। केन्द्रीय 'प्रतिक (Knowledge Tittitude & Protice) संस्थान में प्रजनन एवं गर्भधारण नियंत्रण अध्ययन की नई-नई प्रविष्टियों की खोज की जाती है।

"डेमोग्राफिक सेंटर ऑफ", बम्बई में जनानकी शास्त्रियों को तालीम दी जाती है। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में जनानकी शास्त्र को एमएस, समाजशास्त्र, एमएस अर्थशास्त्र, एमएस सांख्यिकी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर दिया है।
साथ ही साथ जनांकीकिय र सम्बन्धित अनुसंधान केन्द्र भी स्थापित किए है।
एनएसएस अर्थात National Sample Survey में प्रजनन, आवश्यकता, मृत्यु, प्रवास, परिवार नियोजन, उपभोग स्तर सम्बन्धी अनेक आंकें प्रस्तुत किए हैं। जनांकीकिय विश्लेषण व अध्ययन प्रशिक्षण कार्य में संलग्न कुछ प्रमुख उल्लेखनीय संस्थायें ये हैं:—

दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली।
जनांकीकी शौच संस्थान, त्रिवेंद्रम।
जनांकीकी शौच संस्थान, लखनऊ।
जनांकीकी शौच संस्थान, बड़ोदा।
आर्थिक गवेशणा संस्थान, पूर्व।
आर्थिक गवेशणा संस्थान, पटना।
आर्थिक गवेशणा संस्थान, धारवाड़।
जनांकीकी प्रशिक्षण व शौच संस्थान, बम्बई।

इनमें बम्बई का शौच केन्द्र सबसे बड़ा है। इन संस्थाओं में जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं पर शौच व प्रशिक्षण कार्य किया जाता है। जैसे — प्रजनन, मृत्यु, स्थानान्तर, परिवार नियोजन आदि इन विषयों पर पहले प्रयोग किये जाते है और उनसे होने वाले लाभ व हानियों का पता लगाया जाता है। साथ ही आर्थिक एवं सामाजिक स्थितियों का सर्वेक्षण किया जाता है।

विशेष रूप से जनांकीकी प्रोजेक्ट और अन्य परिवार नियोजन प्रशिक्षण व शौच केन्द्र जैसे — आल इपिडिया इन्स्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसज, गौरींग इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एवं पोलिटिक्स (एनिक्स संस्था), प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इपिडिया आदि संस्थाएं पूर्ण और आर्थिक रूप से शौच कार्यों में सहृदय हैं। इनमें जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ ही वर्कशॉप, सेमीनार्स आदि आयोजन किया जाता है। ऐंथिक संस्थायें परिवार नियोजन में सरकार की सहायक बनती है। ये संस्थायें नए—नए प्रकार के दृष्टि, आय साधनों की खोज और
अनेक प्रेषणात्मक माध्यमों के विकास में सरकार का हाथ बटाती है, जिससे व्यक्तियों को लघु परिवार का आदर्श अपनाने के लिए शिक्षित व मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार किया जा सके।

1974 में विश्व जनसंख्या वर्ष मनाया गया जिसमें 136 राष्ट्रों ने भाग लिया और जनसंख्या नियन्त्रण, सामाजिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को महत्व देते हुए एक समझौता किया जिसका संक्षिप्त रूप इस प्रकार है— आर्थिक, सामाजिक विकास तीव्र गति से हो, साथ ही सम्पत्ति के समान वितरण की आवश्यकता को आर्थिक महत्व दिया गया। एक मत होकर सभी राष्ट्रों ने स्वीकार किया कि जनसंख्या वृद्धि की दर अत्याधिक उच्च है, परन्तु इससे हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, साथ ही जनसंख्या वृद्धि के सामाजिक आर्थिक विकास के सम्बन्ध में भी अधिक जोर दिया गया है। प्रत्येक राष्ट्र अपनी जनसंख्या नीति निर्मित करने में स्वतंत्र है और जिन देशों में 14 प्रतिहार है घटाकर 9 प्रतिहार तक किया जाय। इसके साथ ही साथ शुद्ध पुनरुत्पादन दर जो कि वर्तमान 1.48 है सन् 2000 ई 0 में 1 पर लांच होगा। शुद्ध पुनरुत्पाद के इस स्तर पर पहुंचने के लिए इसी अवधि में कुल लक्ष्य दम्पतियों में से लगभग 60 प्रतिशत दम्पतियों को परिवार नियोजन की किसी न किसी विधि से सुरक्षित करना होगा।

भारतवर्ष में परिवार नियोजन की उपलब्धियाँ—:

यद्यपि सन् 1965 तक कार्यक्रम में “कैफेटिरिया पद्धति” को महत्व दिया गया फिर भी मुख्य कार्य 1950–60 के मध्य तक नसबन्दी में ही हुआ। यह नहीं चूकि पुरुष नसबन्दी महिला नसबन्दी की अपेक्षा बहुत आसान मानी जाती थी इसलिए नसबन्दियों का भार कुल नसबन्दियों की तुलना में सन् 1957 के बाद घटते—घटते 1967–68 में मात्र 10.4 प्रतिशत ही रह गया, परन्तु इसके तुरंत बाद से ही स्त्री नसबन्दी का कुल नसबन्दियों में प्रतिशत धीरे—धीरे बढ़ने लगा जो 1984–85 में अधिकतम 86.5 प्रतिशत तक पहुंच गया।
परिवार नियोजन के प्रारंभ से वर्ष 1985-86 तक 5.37 करोड़ लोग
नसबन्दी करवा चुके हैं तथा 1.86 करोड़ महिलाओं को लूप निवेशित किया जा चुका है। लगभग 7.33 करोड़ दम्पति किसी न किसी परम्परागत गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता बन चुके हैं। परिवार कल्याण विभाग के एक अनुमान के अनुसार अब तक कुल 6.82 करोड़ जन्मों को रोका जा चुका हैं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम लक्ष्य प्राप्ति में असफल --

असफलता के कारण --:

9. बाधायें --:

परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकेगा, जब परिवार
कल्याण के कार्यक्रमों को पूरी तरह अपनाया जायें। इसलिए परिवार नियोजन को विशेष
प्रमुखता देनी चाहिए। परस्तु जनता के सहयोग के बिना कोई भी योजना पूरी नहीं हो सकती है। परिवार नियोजन के कार्य में अनेक बाधायें आती हैं — जैसे — धार्मिक,
नैतिक, सामाजिक और आर्थिक बाधायें आदि।

क. धार्मिक बाधाएँ —

संसार के प्रमुख धर्म उपदेशक, धर्म गुरुसंतति— निरोध को एक अधारिक
कृत्य कहकर विरोध करते हैं। प्रायः सभी धर्मों में यह पुरातन विचार है कि “विवाह एक
पवित्र बंधन है, धर्म समस्त उद्देश्य है।”

अधिक से अधिक सन्तानोत्पत्ति के पुनर्जन्म कार्य के लिए विवाह आवश्यक है। इस उद्देश्य के मूल में जो सत्य प्रकट हुआ है। वह यह है कि प्रत्येक धर्म प्रचार
और प्रसार के लिए अधिक से अधिक संख्या में अपने अनुयायियों को चाहता था और
इसी प्रकार प्रायः प्रत्येक धर्म में विवाह सूत्र में बंधकर सन्तानोत्पत्ति के प्रत्येक कार्य में
संलग्न होना श्रेयस्कर कहा गया है।
परिवार कल्याण और हिन्दू धर्म -:

हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का सार परम पुरुषार्थ की प्राप्ति में ही मिलता है। इस परम पुरुषार्थ की प्राप्ति के चार लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद होती है। ये चार लक्ष्य हैं पुरुषार्थ हैं – धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनुष्य को इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जीवन के चार आश्रमों – ब्रह्मचर्य, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, तथा सन्यास से होकर गुजरना पड़ता है। आश्रम व्यवस्था हिन्दू सामाजिक जीवन की महत्त्वपूर्ण संस्था है। प्रत्येक आश्रम में जीवन व्यतीत करने की अवधि 25 वर्ष निरिच्छत की गई है। हिन्दू जीवन पद्धति में एक और जोहाँ सम्पूर्ण समाज संरक्षित उन्नति के लिए चार वर्गों में बटा रहता है, वहीं दूसरी और व्यक्तिगत उन्नति के लिए मनुष्य के सम्पूर्ण जीवन का व्यवस्थित विभाजन की आश्रम व्यवस्था में स्पष्ट रहता है। संक्षेप में आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत जीवन के क्रमिक विकास के स्तरों का विवेचन है।

गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति ‘विवाह’ द्वारा प्रवेश पाता है। हिन्दुओं में विवाह एक धार्मिक कार्य माना गया है, विवाह का दूसरा कार्य सत्तानौत्पत्ति करना है तथा तुलनात्मक रूप से यौन इच्छा की संतुष्टि बतलाया गया है। हिन्दू धर्म के अनुसार मनुष्य तीन ऋण (पितृ-ऋण, देव ऋण एवं ऋषि-ऋण ) लेकर संसार में आता है। बिना तीनों ऋण चुकाये मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है। पितृ-ऋण तभी चुकाया जा सकता है जब मनुष्य विवाह संस्था में प्रवेश कर पुत्र उत्पन्न करे। विवाह के मंत्रों में वर कहता है “कि में उत्तम संतान प्राप्त करने हेतु तुझसे विवाह करता हूँ।”

संस्कृत में बेटे को पुत्र कहा गया है। सम्भवतः ऐसा इसलिए कि पुत्र ही माँ का पुत्र नामक पप से मुक्ति दिलाता है इस विश्वास के मूल में ही अधिक पुत्र तथा अधिक संतान पैदा करने की भावना मिलता है। किन्तु हिन्दू धर्म शास्त्रों में जोहाँ एक और अधिक संतान उत्पन्न करने को कहा गया है, वहीं दूसरी और कुछ धर्म ग्रंथों जैसे-ऋग्वेद, तथा यजुर्वेद में इस बात का उल्लेख भी है कि एक निशिच्छ सीमा के पश्चात् अधिक संतान नहीं होना चाहिए। विवाह के समय पढ़ा जाने वाला ऋग्वेद का
एक मंत्र इस प्रकार है –

इगाम् त्वामिन्द्र मिथ्य सुभ्रस् सुगममधुसस्
दासस्यस् पुष्पादेहि पतिनेकां दशम क्राणि

हे इन्द्र! वधू को दस अच्छे माह्याशाली बच्चों की माँ बनने का आर्शिवाद
दो या पति को उसके ग्याहरें बच्चे के समान समझती थी, तब इसका तात्पर्य यह था
कि परिवार के आकार में उस समय भी थोड़ा खुश नियन्त्रण अथवा नियोजन अवस्था था।

बृहदारण्यक उपनिषद में सुन्दर एवं बुद्धिमान संतान उत्पन्न करने के
लिए अनुस्थान और गर्भ निरोध के लिए विशेष अंगों का पाठ वर्णित है। एक स्थान पर
यहाँ तक कहा गया है –

"पूर्व विद्वासा प्रजा न क्रमते किं प्रजया करिष्याम :।"

अर्थात् पहले के विद्वास लोग संतति उत्पादन को अपना कर्तव्य या धर्म
नहीं मानते थे बल्कि वे संतति उत्पादन के प्रति उदासीन थे। मनुस्मृति में भी अधिक
संतान का विरोध किया गया है मनु के अनुसार –

"मनुष्य को एक ही संतान उत्पन्न करनी चाहिए, अधिक नहीं" क्योंकि
संतान काम प्रतीक है।"

इसी प्रकार ऋग्वेद में एक स्थान पर लिखा है कि

"भूहन्या निकृतिमा विशेषत्।।"

अर्थात् अधिक संतान से बहुत दुःख उठाना पड़ता है। अतः दुःख दूर
करने के लिए यह आवश्यक है कि कम संतान उत्पन्न किया जाय।

हमारे धार्मिक ग्रन्थों ने जहाँ पुरुषों को परिवार कल्याण के समबंध में
मार्ग दर्शन दिया है वहाँ रित्रयों से भी कहा है कि –

"सन्त अन्न युक्तया: सयोनिरेक गर्भ दधिये सत्तागार्था।।" ऋग्वेद

अर्थात् विवाहिता रुती एक ही गर्भ धारण करें। हमारे यहां जनसंख्या
वृद्धि का एक कारण यह भी है कि यहां प्रत्येक व्यक्ति की चाह उत्तराधिकारी की रहती
है और वह भी पुत्र के रूप में, जिससे मरने के बाद पानी मिल सके और मोक्ष की प्राप्ति
हो सके। हमारे यहाँ उत्तराधिकारी के लिए बालकों को गोद लिया जाता है परन्तु वेदों में इसका भी निषेध है। स्वयं राष्ट्रपति डा० जाफर हुसैन ने कहा था कि “ब्रह्मचर्य जीवन ही राष्ट्र और समाज की उन्नति का एक मात्र साधन है।”

वर्तमान युग की इस समस्या का निदान उस समय भी प्रचलित था, चाहे परिवार कल्याण की समस्या उस समय इतनी गम्भीर न रही हो, जितनी की वर्तमान युग में है।

वेदों में एक भी को 10 बच्चों की मां होना बताया गया है तथा पति को ग्यासकर संतान निरुपित किया गया है किन्तु उसमें यह भी स्पष्ट रूप से वर्णित है कि प्रथम संतान धर्म की उपज है तथा शेष काम की।

इस प्रकार हिन्दू धर्म संतति निरोध का विरोध नहीं करता है। यदि हम आज भी हिन्दू धर्मनुसार “आश्रम व्यवस्था से जीवन–निर्वाह का प्रयत्न करें, तो सम्भवतः परिवार कल्याण की समस्या अपने आप ही हल हो जायेगी। वर्तमान में हम भारतवासी न तो कट्टर धर्म परायण हैं और न पूर्ण रूप से आधुनिक विचार वाले व्यक्ति ही हैं। क्योंकि आज हम भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान एवं भविष्य के प्रति अधिक सजग हैं अतः हमें आगे की ओर उत्प्रेरित करना चाहिए।

परिवार नियोजन तथा मुस्लिम धर्म –:

हिन्दू सम्प्रदाय के समान ही मुस्लिम सम्प्रदाय में भी यह भ्रम विद्यमान है कि परिवार नियोजन मजहब के खिलाफ है। इस्लाम धर्म में यह कहा गया है कि जब खुदा के बने (मनुष्य) शादी करते हैं तो वे इस्लाम धर्म में आधे पारंगत बन जाते हैं। इस्लाम धर्म में अल्लाह को यह कहते हुए बताया गया कि “विवाह तथा वंश वृद्धि करो ताकि अन्य जातियों की अपेक्षा अपनी जाति को तथा मुझे गौरव प्राप्त हो सकें।” सर्वोत्तम मनुष्य वही है जिसको अधिक से अधिक पतियां हों। सम्भवतः इसीलिए इस्लाम धर्म में “बहुपत्नी विवाह प्रथा” प्रचलित है।
वास्तव में मुस्लिम धर्म परिवार नियोजन का समर्थक है या नहीं, यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका। यदि किसी से मुसलमान को किसी सवाल के बारे में कोई शंका होती है तो वह मिश्र साम्राज्य के मुख्य मुल्ला तथा काजी से जिसे मुफ्ती कहा जाता है, अपनी शंका का समाधान करवाता है।

मुफ्ती से इस बारे में राय पूरी गयी कि शादी शुदा युवा मनुष्य को जिसके एक संतान हो, एक बच्चे के जन्म के पश्चात, दूसरे बच्चे के जन्म होने तक कितने समय की अवधि की छूट मिलनी चाहिए, या गर्भ निरोध के साधन अपनाना चाहिए, ताकि प्रत्येक होने वाली संतान के बोझ से मां बाप के स्वास्थ्य पर तथा आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? इस प्रश्न पर विश्वास अध्ययन करने के बाद इस्लाम धर्म के खास मुफ्ती ने 5 जनवरी 1937 को एक प्रस्ताव जारी किया कि पति-पत्नी को आपसी सलाह मशाविरा करके गर्भ निरोध के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग करने की अनुमति है, किन्तु इस फलते से यह बात स्पष्ट होती है कि परिवार नियोजन किसी भी हालत में मजबूत रखता नहीं है और व्यक्तिगत पारिवारिक सुख तथा समाज वृद्धि की आवश्यकता के अनुसार मुस्लिम परिवार, परिवार नियोजन पर बेखौफ अमल कर सकता है।

भारत में दिल्ली की "इस्लामिक रिसर्च सोसायटी" ने मुसलमानों में परिवार कल्याण को लोकप्रि बनाने के लिए "खानदानी मनसूबा बंदी कुरान और हदीस की रोशनी" शीर्षक से उर्दू में एक पुस्तिका प्रकाशित की है, जिसमें मुसलमानों की इस धारणा का खंडन किया गया है, कि परिवार कल्याण उनमें धर्म में निषिद्ध है। इस पुस्तक में परिवार नियोजन को कुरान समस्त सिद्ध ही नहीं किया गया है, बल्कि कुरान के अनुसार परिवार को व्यक्ति की संतान-पालन की क्षमता के मुताबिक सीमित रखना अनिवार्य भी बताया गया है। इससे मुसलमानों में परिवार कल्याण को प्रोत्साहन मिला है।
परिवार-कल्याण तथा रोमन कैथोलिक धर्म -:

परिवार नियोजन या संतति-नियोजन के बारे में रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध पोप पायस के विवाद में जारी किये गये पत्र के आधार पर है। पोप पायस XI ने सन् 1930 में विवाद के सम्बन्ध में यह पत्र जारी किया था। इस पत्र में कहा गया है कि गर्भधारण की प्राकृतिक क्रिया को जानबूझ कर विभिन्न उपायों द्वारा रोकना या उसका विरोध करना ईश्वर तथा प्रकृति के नियम के विपरीत है, और जो लोग यह कृत्य करते हैं, वे भयंकर पाप करते हैं।

इस प्रकार रोमन कैथोलिक धर्मालम्बी परिवार के गर्भ–निरोध के विभिन्न साधनों द्वारा नियोजित करना जानयुग अपराध समझते हैं, फिर भी यह सत्य है कि रोमन कैथोलिक धर्म का विरोध परिवार–कल्याण या गर्भ–निरोध के साध्य नहीं है। उन्हें साध्य के रूप में परिवार कल्याण से कोई विरोध नहीं है। वास्तव में रोमन कैथोलिक धर्मालम्बी परिवार कल्याण को नैतिक, स्वास्थ्य तथा आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यक समझते हैं, किन्तु इस कार्य हेतु वे गर्भ–निरोध के वैज्ञानिक साधनों की अपेक्षा “आत्म संयम” का सहारा लेना उचित समझते हैं।

फिर भी रोमन कैथोलिक धर्मालम्बी पोप पायस के विवाद सम्बन्धी उपयुक्त पत्र का पालन करने में बड़ी कठिनाई अनुभव करते हैं। इस पत्र के बावजूद भी संयुक्त राज्य अमेरिका में रोमन कैथोलिक महिलायें गर्भ–निरोध अस्पताल की सेवाओं का उपयोग उसी अनुपात में कर रही है जितनी कि अन्य मलालम्बी महिलाएं।

अमेरिका की फारबून पत्रिका 1944 में यह बतलाया गया है कि लगभग 70 प्रतिशत रोमन कैथोलिक महिलाओं ने यह इच्छा प्रदर्शित की कि गर्भ–निरोध की सूचना तथा उसकी साधनों के उन्हें अवगत कराया जाये।

अतः वर्तमान युग की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए आशा रखनी चाहिए कि परिवार–कल्याण हेतु गर्भ–निरोध के विषय में रोमन कैथोलिक धर्म अपने मलालम्बियों की सुख सुविधा के लिए आवश्यक परिवर्तन यथा शीर्ष करेगा, ताकि रोमन कैथोलिक धर्मालम्बी व्यक्तियों का जीवन सभी दृष्टियों से उन्नतिशील हो सके।
खः निरोध और नैतिक बाधायें -:

संतति निरोध के विषय में आम धारणा यह है कि यह कृत्य अनैतिक है। नैतिकता सदाचार एवं शील संबंधी मनुष्य की अस्थायी प्रत्येक गुण में परिवर्तित तथा विकसित होती गयी है मनुष्य के नैतिक सिद्धान्त इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनसे समाज का हित होता है या नहीं। युग के अनुसार मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गयी हैं। परिणामस्वरूप हमारे नैतिक मूल्यों में भी परिवर्तन हुआ है, तथा होता रहेगा। हमारे देश में सती प्रथा, बहु पल्ली विवाह प्रथा आदि ऐसी परम्पराएं थी जो तत्कालीन समाज में उचित लगती थीं, किन्तु वर्तमान परिवेश में देखने पर उन्हें हम हेतु समझते हैं भले ही संतति निरोध को आज कुछ व्यक्ति अनैतिक कहें, किन्तु यह निर्विदाध है कि यह प्रक्रिया सामाजिक दृष्टि से उपयोगी है और इसलिए आज नहीं तो कल सभी लोग इसे नैतिक कहें बिना नहीं रहेंगे। कुछ व्यक्तियों का तर्क है कि संतति-निरोध अप्राकृतिक कृत्य है, दूसरे शब्दों में “यह प्रकृति के कार्य में मानव द्वारा किया जाने वाला हस्तक्षेप है। यद्यपि यह बात सत्य है किन्तु प्रकृति के कार्यों के मानव द्वारा किया जाने वाला शौर्यपूर्ण हस्तक्षेप ही मानव सम्मान का इतिहास है। मनुष्य ने सदा से प्रकृति के कार्यों का हस्तक्षेप किया है, और उस पर विजय प्राप्त की है। मनुष्य कोई पशु नहीं है, जो प्रकृति के अधीन होकर जीवन-निर्विह नहीं। वरन हो यह तो प्रकृति से जूझकर बेहतर जीवन की नयी राह बनाता हुआ आगे बढ़ता रहा है। इस प्रकार संतति -निरोध अप्राकृतिक नहीं, अपितु यह सुखद भविष्य की कामना के लिए मनुष्य का प्राणिवत क्रिया में सफल हस्तक्षेप है। जिससे व्यक्ति और समाज दोनों ही लाभान्वित होते हैं।

ग. सामाजिक बाधायें -:

संतति -निरोध के प्रमुख साधनों में जहाँ लोगों को अनैतिकता की बू आती है वहाँ कुछ आलोचकों द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि इस प्रक्रिया द्वारा समाज में यौन दुराचार विकसित होने लगेगा। परिणामस्वरूप हमारा सामाजिक
संगठन छिन्न-भिन्न हो जायेगा। चूँकि संतति-निरोध द्वारा किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। इस कारण युवक वर्ग में चारित्रिक दुराचरण निरिचित रूप में बढ़ेगा।

किन्तु इस प्रकार के कठनता तथ्य ही हैं। आज भारत वर्ष में नहीं विश्व के सभी देशों में अभियंता एक प्रमुख समस्या बनकर सामने आयी हैं। परिवार कल्याण के साधन समाज के इस कलंक को मिटाने में बहुत कुछ सहायक हो सकते हैं। चारित्रिकता तो यह है कि इससे सामाजिक दुराचरण को प्रश्न नहीं, बल्कि चारित्रिक उत्थान को ही बढ़ावा मिलेगा।

अब भारतीय समाज में यह भावना भी लुप्त हो रही है कि परिवार में अधिक लोगों के रहने से परिवार अधिक शक्तिशाली होता है। प्राधिकृतमें सुसंदर्ण के साधन, परिवार के कर्मयोग थे, पर अब वे राष्ट्र के कर्तव्य हो गए हैं। अब धीरे-धीरे हमारे समाज से भाग्यवादी दृष्टिकोण भी हटता जा रहा है, जो आगे चलकर परिवार कल्याण में साधन रहेगा। इसलिए यह बात निरिचित है कि आधुनिक सामाजिक बोध क्रेता मूल्यों एवं पुरानी रूढ़ियों को बदल देगा।

प. आधिक बाधाएं: -

समाज में वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि गरीब और आधिक रूप से तत्काल लोगों के पास ही अधिक बच्चे होते हैं और जो आधिक रूप से सम्पन्न हैं, अपेक्षाकृत उनके कम बच्चे होते हैं। अतः यह बात स्पष्ट है कि परिवार कल्याण के साधन गरीब लोगों को ही उपलब्ध करना चाहिए जिनकी आय कम और बच्चे अधिक हो। इस तरह से ऐसी ही जनसंख्या की वृद्धि की जाय जो राष्ट्र के विकास से सहयोगी हो।

2. कार्यक्रम की कमज़ोरियाँ: -

सरकार ने क्रमशः परिवार नियोजन कार्यक्रमों पर अधिक महत्व प्रदान किया है। परन्तु जब हम इसकी उपलब्धियों की ओर दृष्टिपात करते हैं तो लगता है कि इस कार्यक्रम को उतनी सफलता नहीं मिली, जितनी अपेक्षा की जाती थी। कारण यह है कि देश में सरकार, दूरदर्शिता व व्यावसायिकता का प्रभाव है और अलोचना के मुख्य तर्क
निम्नलिखित है—

क. परिवार नियोजन को अपनाएं शताब्दियाँ गुजर गयी किन्तु अभी तक इसके सभी साधनों का प्रचार देश में नहीं किया जा सका है, जिसका प्रमुख कारण विज्ञापन का अभाव, कर्मचारियों की लापरवाही है। उत्तरदायित्व की भावना के अभाव के कारण अधिकांश कर्मचारी इसके महत्त्व को निमाने का प्रयास ही नहीं करते। कर्मचारियों की लापरवाही का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ परिवार नियोजन के कार्यों के प्रति ग्रामीणों के सहयोग की अपेक्षा की, वहाँ आज अधिकांश ग्रामीण परिवार—नियोजन ने नाम से चौंक कर भाग गए हैं। सिर्फ इसलिए कि परिवार—नियोजन का कार्यकर्ता इनके साथ अमानवीय व्यवहार करते हैं और जबरदस्ती नसबन्दी कर देते हैं। इस प्रकार येन—केन प्रकारण अपने कोटे की संख्या पूरी कर दिखाते हैं। जबरदस्ती के अन्तर्गत ऐसे लोगों की भी नसबन्दी हुई है जो संतानोत्पत्ति के लिये अक्सर थे या जिनकी शादी नहीं हुई थी। इसका फल यह हुआ कि लोगों के मन में परिवार नियोजन के कार्यकर्ताओं के प्रति विद्रोह पनपने लगा और धौरे—धौरे समाज में व्याप्त हो गया।

ख. डॉ० डी० बनर्जी के अनुसार, "भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम पूर्णतया असफल रहा है। सरकार ने पहले क्लियनिक दृष्टिकोण को अपनाया और जब पांच वर्ष बाद इस नीति की असफलता प्रकट हुई तो "विस्तार दृष्टिकोण अपनाया और शीघ्र ही त्याग कर केंद्र दृष्टिकोण अपनाया गया, इसके अन्तर्गत लोगों को तरह—तरह के प्रलोभन देकर केंद्रों में बन्धुसारण के लिये लाया जाता था। फिर लक्ष्य प्रेमित समयबद्ध पद्धति अपनाई गई।" 16 डॉ० बनर्जी के शब्दों में, "राजनीति नेतृत्व की सताधारी वर्गों के मूल्यों के प्रति उदारता, उपनिवेशवादी नौकरशाही परम्परा, निहित स्वार्थों द्वारा शोषण और कुछ विदेशी शक्तियों की भारत में यथा शक्ति बनाये रखने में दिलचस्पी ने सामूहिक रूप से
र.
परिवार-नियोजन कार्यक्रम को भर्तिकर रूप से विकृत कर दिया है।’’17

ग.
परिवार नियोजन प्रोग्राम में कार्य के स्वरूप की दृष्टि से अधिक प्रशिक्षित
पढ़े लिखे और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विकसित व्यक्तियों की आवश्यकता होती
है। जबकि भारत में कम पढ़े लिखे, कम प्रशिक्षित और अनुकूल व्यक्तियों को
छोटे परिवार के आदर्श के लिए जनता को प्रेरित करने का कार्य सीमा गया है।

घ.
डाः आशीष बोस ने: ’’ भारत सरकार की परिवार नियोजन विधि की कटू
आलोचना करते हुए कहा है कि परिचय शैली की विज्ञापन विधि के स्थान पर
परिवार नियोजन कार्यक्रम का तालमेल सामाजिक सुधार के व्यापक आन्दोलन
के साथ होना चाहिए, जिसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर समाज
का आधुनिकीकरण होना अनिवार्य है। डाः बोस लिखते हैं’’ हमारे परिवार
नियोजन प्रोग्राम की मिथ्या धारणा यह है कि भारत जैसे देश में जनन-व्यवहार
में परिवर्तन विज्ञापन एवं इंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा सकता है। लोग जागरूक हो
चुके हैं और गरीबी हताओं नारे को कार्यरूप देना होगा। जनता सक्रिय उपायों
की माँग करेगी और परिवार नियोजन के नकारात्मक नारे ’’दो या तीन बस’’
सन्तुष्ट न होगी।’’18

ड.
वी. आर. सेन : ’’ ने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त करते हुए कहा है
कि भारत में समस्या को ठीक प्रकार से समझ ही नहीं गया। अब तक इस
विश्वास के आधार पर कार्यक्रम बनाये गए कि संतति-निरोध उपकरणों का
उत्पादन बढाकर और प्रतिबंधन अवरोधों को प्रोत्साहन देकर ही समस्या का
समाधान किया जा सकता है हमने जनसंख्या नीति पर कभी इस पहलू से
विचार ही नहीं किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के जनसाधारण के जीवन रूप को ऊँचा
उठाया जाय। क्योंकि उनकी निर्धारण उन्हें अनिवार्यत पुनरुत्थान के लिए
प्रेरणा देती है और यह वह वर्ग है जिसका जनसंख्या की समस्या को गम्भीर
9. उपर्युक्त साधनों की अनुपलब्धि - :

भारत में अभी तक परिवार-नियोजन के लिए सर्व सुगम और विश्वसनीय गर्भ निरोधक साधन उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसका प्रयोग अधिकांश लोग कर सकेंगे। गर्भ-निरोध के लिए सुझायी गयी शीर्षता प्राप्त औषधि विज्ञान पर आधारित हैं तथा वे सभी रासायनिक और वातावरण स्थितियों में कार्यान्वित किए जा सकते हैं। अनुभव करता है गर्भ निरोधक साधन सभी स्थानों पर सरलता से उपलब्ध नहीं हो पाते।

2. विज्ञापनों का अभाव एवं कर्मचारियों की लापरवाही -:

भारत जैसे विशाल क्षेत्र एवं विस्तृत जनसंख्या वाले देश में जहाँ शिक्षा परिवहन एवं संचार साधनों का अभाव है वहाँ परिवार नियोजन को जन-जन तक पहुँचाने और लोगों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए व्यापक एवं प्रभावपूर्ण विज्ञापन की आवश्यकता है। अपने देश में इस संदर्भ में किया कार्य संतोषप्रद नहीं रहा है। आज भी अनेक ग्रामीण क्षेत्रों के लोग परिवार-नियोजन की आवश्यकता, महत्व एवं गर्भ निरोधक साधनों उनके प्रयोगों एवं तरीकों से अनभिज्ञ है। दूसरी तरफ परिवार नियोजन कार्यक्रम की असफलता का बहुत बडा कारण इस कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारियों के निष्ठा, लगातार औत्साहित्व की कमी एवं लापरवाही रहती है।

3. कार्यकर्ताओं में प्रशिक्षण एवं कुशलता की कमी -:

किसी भी कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ उसके क्रियान्वयन करने वाले कार्यकर्ताओं की कुशलता, ज्ञान, अनुभव एवं निष्पाप्त कार्य करने की क्षमता पर निर्भर करती है। अपने देश में कर्मचारियों में इन गुणों का अभाव रहता है। इस कार्य में लगे
हुए सभी कर्मचारी न तो प्रशिक्षित है, और न ही उन्होंने सक्रिय रूप से कार्य किया है। कर्मचारियों की अकुशलता, अज्ञानता, लापरवाही तथा उपेक्षा के कारण ही ग्रामीण जनता में परिवार-नियोजन के प्रति तरह-तरह के ब्रह्म एवं गलत फहमियां हो गयी हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों ने बुद्धिमत्ता, व्यावहारिकता, जनता को प्रेरित करने, लाभ-हानि को समझाने आदि में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असफल रहे हैं। कर्मचारियों ने किसी प्रकार से अपने लक्ष्य की पूर्ति हेतु अनेक प्रकार की जोर जबरदस्तियां करते रहे हैं। जिसके कार्यक्रम आम जनता में इन कार्यकर्ताओं एवं इस कार्यक्रम के प्रति अविश्वास एवं विरोध की भावना उत्पन्न हो गई है। फलतः लोग परिवार नियोजन से भाग नहीं की प्रवृत्ति रखते हैं।

4. विद्यालय कठिनाइयों आँकः:

भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को व्यापक और सघन रूप से चलाने के लिये पर्याप्त धन को आवश्यकता है। किन्तु अपने देश में पूर्वी और आवश्यक साधनों का अभाव है जिसके कार्यक्रम परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं और शिक्षा का विस्तृत रूप से प्रचार होने में कठिनाई आती है। आर्थिक साधनों के अभाव में परिवार नियोजन सम्बन्धी पर्याप्त शोध एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है।

5. जनसहयोग का अभाव आँकः:

भारत में निकटता, रुझानिदित्ता और अज्ञानता से युक्त अंधकारमय वातावरण होने के कारण जनता का परिवार नियोजन के प्रति पर्याप्त उत्साह नहीं है। लोग संतान को इस्तेमाल की देन स्वरूप मानते हैं, और उसमें हस्तक्षेप करने में संकोच करते हैं, किन्तु विगतवर्षों में किये गये ग्रामीण सर्वेक्षण के प्रति लोगों का विरोध कम होता जा रहा है।

1. सामाजिक आधार पर विरोध आँकः:

सामाजिक आधार पर भी परिवार नियोजन का विरोध किया जाता है और कहा जाता है कि गर्भ-निरोध सामग्रियों की उपलब्धियों से लड़कियां अपने शील
को कायम नहीं रख पायेगी, शादी से पहले यौन संबंध आम बात हो जायेगी, वैश्यावृति बढ़ेगी, यौन सबसे बड़ा व्यापार बन जायेगा। हर सार्वजनिक स्थान यौन खेलों का स्थान बन जायेगा तथा विवाह की पवित्रता नष्ट हो जायेगी।

ii धार्मिक विरोध -:

भारत में बहुत से व्यक्ति परिवार नियोजन का विरोध इसलिए करते हैं कि इससे हिन्दुओं और गैर हिन्दुओं के अनुपात बिगड़ जायेगा। क्योंकि मुसलमानों और ईसाईयों में यह कार्यक्रम लोकप्रिय नहीं है परन्तु यह धार्मिक ठीक नहीं है, क्योंकि मुसलमान भी कार्यक्रम का स्वागत करते हैं और उससे लाभ उठाते हैं। दिल्ली में किये गये सर्वेक्षण से तो बिखर हुआ है कि परिवार कल्याण सेवाओं से लाभान्वित होने वाले मामलों में पाये जाने वाले अंतर का कारण धर्म नहीं होता, दिल्ली में मुसलमानों की आबादी 5 प्रतिशत है, पर परिवार नियोजन से लाभ उठाने वालों में उनकी संख्या 14 प्रतिशत है “दिल्ली विश्वविद्यालय आर्थिक वृद्धि संस्थान” बुलंद शहर और मथुरा में जो अध्ययन किये हैं, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है।

अन्य कमांडों के आवश्यक मान्यताओं -:

1. परिवार–नियोजन केंद्रों के कार्यकर्ता लोगों को ठीक प्रकार के उपदेश देने में असमर्थ।

2. स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन से सम्बन्धी कार्यों में उचित मान्यता में सहयोग प्रदान न करना।

3. इस काम के लिए आवश्यक चिकित्सकों तथा परिचारिकाओं का अभाव है, जो मुख्यतया बंधुवा करके करने के लिए आवश्यक है।

4. परिवार नियोजन का राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार करने के लिए भारी वित्त की आवश्यकता है।

5. कुछ व्यक्तियों द्वारा भी परिवार नियोजन का विरोध इस आधार पर किया जा रहा है कि इससे कुशल और प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या घटती जायेगी,
क्योंकि व्यवहार में परिवार नियोजन शिक्षित वर्ग के लोग ही अपनाते हैं।

इस प्रकार भारतवर्ष में परिवार नियोजन की सफलता के मार्ग में अनेक कठिनाइयां जिनको दूर किए बिना अपेक्षित सफलता का लक्ष्य पूर्ण होना असम्भव है। देश में व्याप्त अशिक्षा इस क्षेत्र में सबसे बड़ी आधारभूत बाधा है। पिछले कुछ वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों में जो तेजी आयी है वह निश्चय ही काफी प्रसन्नता और संतोष प्रदान करती है किन्तु उसे और अधिक सक्रिय एवं सफल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि परिवार नियोजन की सफलता के बिना देश की प्रगति की कल्पना करना भी मात्र सपना बन कर रह जायेगी।
REFERENCES

3. Draft Final Report of Regional Workshop on population and family education, Bangkok UN
14. Ibid. P. 98
15. Ibid P. 106.
17. Ibid